

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,  
राजवशी नगर,  
पटना-800023 ।

पटना, दिनांक ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारिया के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	गरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिवम् कुमार पिता- सरोज कुमार झा ग्राम+पो०- बलोचा थाना- लखनौर जिला- मधुबनी	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 50,000/- (पचास हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.. 002573 .. मूल रूप में सलग्न ।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006579, शाखा- एस० बी० आई०, बेती रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 559 (14)

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीज के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/01/2026

आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य

  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

पेभक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

रोगा गे,

निदेशक,

सेंटर फार साईट ए/31

पी०सी० कोलनी कंकडबाग

बिहाईड ग्रेवीटी माल

नियर ओल्ड तिवारी बेचर

पटना 800020

पटना, दिनांक. . . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बेबी देवी पति- जनार्दन सिंह ग्राम+पो०- बखोरापुर थाना- बडहरा जिला- भोजपुर	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत। /
2	कुमारी साधना वर्मा पति- चंद्र शेखर प्रसाद ग्राम- चकवारा पो०- हाजीपुर थाना- हाजीपुर नगर जिला- वैशाली	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सुधर देवी पति- रामवृक्ष राय ग्राम- गंज मसूरिया पो०- भाथा थाना- मकेर जिला- सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	इस्लामुद्दीन मिया पिता- रजाक मिया ग्राम- शंकरडीह पो०- भलुआ भिखारी थाना- तरैया जिला- सारण	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	लक्ष्मीनिया देवी पति- रामेश्वर राय ग्राम- रामबाद पो0- पतीला थाना- मनेर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत
6	समुद्री देवी पति- मुरारी राय ग्राम- सुअरमरवा पो0- पतीला थाना- मनेर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत
7	सुशीला देवी पति- मोहन महतो ग्राम+पो0- पुनाई चक थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत
			70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 70,000/- (सत्तर हजार) मात्र का क्रास चेक सं 002594 मूल रूप में संलग्न ।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुलो अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा ।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय । अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय । मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है । प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय । बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है । उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय ।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय ।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय ।

7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री विकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. रकीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 562(14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग / संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
अधीक्षक,  
महावीर कैसर संस्थान,  
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय-“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	उर्मिला देवी पति-नन्द लाल शर्मा ग्राम-बडहरवा पो०-बहरूपिया थाना-तुरकौलीया जिला पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस-एफ 44149	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	उपेन्द्र कुमार पिता-रामवृक्ष सिंह ग्राम-केखडा पो०-कोची थाना-गुरारू जिला-गया एम०सी०एस-एफ 87448	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	सतोष साह पिता-कन्हैया साह ग्राम-जगरनाथा पो०-माझागढ थाना-माझागढ जिला-गोपालगज एम०सी०एस-एफ 63051	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	मनीष कुमार पिता-राम प्रसाद दास ग्राम-बेदीपट्टी पो०-योगीयारा थाना बहादुरपुर जिला दरभंगा एम०सी०एस-ई० 84849	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	राम सावरी देवी पति-रामेश्वर राउत ग्राम-शीतलपुर राय टोला पो0-शीतलपुर थाना-चकिया पी0एस0 जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 9836	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	मनोरमा देवी पति-श्रवण चौधरी ग्राम-इनाई पो0-इनाई थाना रिविलगज जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 10468	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	निशिका गुप्ता पिता-विश्वजीत कुमार ग्राम-सिनेमा रोड महनार पोस्ट+थाना महनार जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 11177	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	लक्ष्मण पासवान पिता-टेंगरी पासवान ग्राम-ईसापुर पो0-चैनपुर थाना चैनपुर जिला-कैमुर भभुआ एम0सी0एस-जी0 10271	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सावरू राम पिता-अनवत राम ग्राम-परसौनी वार्ड 07 पो0-मंझरिया थाना-भैरोगज जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 8726	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
10	आशीष कुमार पिता-अवधेश कुमार ग्राम+पो0 जैतीपुर थाना-दरियापुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 43606	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
11	उषा देवी पति-कामेश्वर यादव ग्राम-मसापुर पोद्ध-गोनकुरा थाना-चडी जिला-नालन्दा एम0सी0एस-जी0 7937	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

12	अनिल यादव पिता-राम बल्लभ यादव ग्राम+पो0-सरौनी थाना-महिषी जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 11020	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
13	फूलमती देवी पति-उमेश महतो ग्राम-परेगवा पो0-योगापट्टी थाना-योगापट्टी जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 99090	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
14	गीता कुमारी पति-अमरजीत कुमार ग्राम-रामजी चौक नहर रोड पिलर न0-298 पो0-बाटागज थाना-दीघा जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 11164	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
15	प्रशांत कुमार पिता-पन्नेलाल यादव ग्राम-खोनहा पो0 खादीपुर थाना-बिहरा जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 9724	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
16	अंजनी कुमारी पिता-अरुण कुमार प्रसाद ग्राम-जामो टोले गगाहाता पो0-जामो बाजार थाना-जामो बाजार जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 11430	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
17	सोनी देवी पति-अर्जुन राम ग्राम-बेलडीहरी पो0-बसौरी थाना-सिकरहाता जिला भोजपुर एम0सी0एस-एफ 65135	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
18	बिमला देवी पति-नरेन्द्र सिंह ग्राम-भोजु बिगहा पो0-कोशिला थाना-बोध गया जिला गया एम0सी0एस-जी0 10710	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत

19	पुन्नु धोबी पिता-स्व0 केसरी धोबी ग्राम+पोस्ट-छोटका राजपुर थाना-तिलक राय के हाता ओ0पी0, जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 97352	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
20	धनजय सिंह पिता-हरि किशुन सिंह ग्राम-बेला वार्ड 03 पो0-नऊरा थाना-बिहटा जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 11329	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	जगदीश राय पिता-स्व0 माहो राय ग्राम-जलखरिया पो0-उरवा थाना-चकाई जिला-जमुई एम0सी0एस-एफ 77320	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
22	अमित कुमार पिता-शिदेश्वर कुमार पासवान ग्राम-डेढगाव वार्ड 12 पो0-डेढगाव थाना-काशीचक जिला-नवादा एम0सी0एस-जी0 7960	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
23	विश्वनाथ कुमार मडल पिता-बबलु मडल ग्राम-चिलमिलिया पोस्ट-दामु थाना-बासोपट्टी जिला-मधुबनी एम0सी0एस0 नं0-एफ 98995	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	रूणा देवी पति प्रमोद दास ग्राम-मुरली बसंतपुर पोस्ट-मुरली बसतपुर थाना-बनगाव जिला-सहरसा एम0सी0एस0न0-ई0 43178	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	शिकालो देवी पति-राजेश्वर पासवान ग्राम-मेह पो0-सदुरी कर्मा थाना-नरारी कला खुर्द जिला औरंगाबाद एम0सी0एस0 नं0-एफ 93469	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	मो० मतलुव सरवर पिता-मो० मसुर आलम ग्राम+पो०-मिल्की थाना-बिहपुर जिला-भागलपुर एम०सी०एस० न०-एफ 71163	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	ममता कुमारी पति-सुनील कुमार ग्राम-सुअरकोल बिलारी पो०-सुईया थाना-सुईया ओ०पी० जिला-बाका एम०सी०एस०न०-जी० 11357	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मजु देवी पति-लाल बहादुर पासवान ग्राम-चक्की ढाब पो०-रोसडा थाना-रोसडा जिला समस्तीपुर एम०सी०एस०न०-जी० 11788	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	विनोद कुमार पिता-स्व योगेन्द्र भगत मालाकार ग्राम-मधुबन पोस्ट-गुलवारा मधुबन थाना-मधुबन पी०एस० जिला-पूर्वी चम्पारण एम०सी०एस०न०-जी० 11680	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	रीतु कुमारी पिता-द्विजेन्द्र झा ग्राम-हरनाथचक पो०-सिधिया मकदुमपुर थाना गोपालपुर जिला-भागलपुर एम०सी०एस०न०-जी० 10277	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सोनी देवी पति-राजेश राय ग्राम-नरैनापुर पो०-नरईपुर थाना-बगहा जिला-प० चम्पारण एमसी०एस-एफ 68867	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
32	गीता देवी पति-सजय कुमार साह ग्राम-पो०-बरदेला थाना-धमदाहा जिला पूर्णिया एमसी०एस-जी० 10925	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	अमन यादव पिता-महेन्द्र यादव ग्राम-बिशनपुरवा पो0-मुराडीह थाना-पिपरासी जिल-प0 चम्पारण एमसी0एस-एफ 94982	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	बुचिया देवी पति-स्व0 सत्यनारायण मेहता ग्राम-परसा पो0-परसा थाना-किशनपुर जिला सुपौल एमसी0एस-जी0 10974	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	अशवन्ती देवी पति- बिनोद कुमार सिंह ग्राम-न्यू ऐरिया वार्ड 5 पोस्ट-औरगाबाद थाना- टाउन जिला-औरगाबाद एमसी0एस-एफ 80733	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
36	सुमित्रा देवी पति मनेजर माझी ग्राम-बगरा खुर्द पो0-रिविलगज थाना-रिविलगज जिला-सारण एमसी0एस-एफ 97063	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	सुशीला देवी पति-हरेन्द्र प्रसाद ग्राम-समसुद्दीन पो0-रिविलगंज थाना-रिविलगंज जिला-सारण एमसी0एस-एफ 79762	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	सुमित्रा देवी पति -कुमार मुरलीधर ग्राम-कस्बा पो0-मझौली थाना-सालीमपुर जिला-पटना एमसी0एस-जी0 10599	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	मन्दु बिन्द पिता-बबुना बिन्द ग्राम-सोनगॉवा पो0-सिकरियो थाना-दरिगॉव जिला-रोहतास बिहार एमसी0एस-जी0 11299	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	बबिता देवी पति-सत्यदेव सिंह ग्राम-पूहॉ वार्ड 04 पो0-पूहॉ थाना-बबुरा जिला-भोजपुर एमसी0एस-जी0 11674	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	राहुल कुमार पिता-राधे रजक ग्राम-रूपसी महाजी पोस्ट-ग्यासपुर महाजी थाना-राघोपुर जिला वैशाली एमसी0एस-जी0 5091	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	गगा देवी पति-महेन्द्र पासवान ग्राम-भुसेनीचक पो0-रमजानपुर थाना-बरबीघा जिला शेखपुरा एमसी0एस-जी0 9954	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	अल्पना सिंह पति-राहुल कुमार ग्राम-कारगिल भवन, मौर्या बिहार कोलनी, पोस्ट-बहादुरपुर हाउसिंग कोलनी, थाना-अगमकुआ जिला-पटना एमसी0एस-जी0 7293	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	सुधा कुमारी पति-सजय सिंह ग्राम-मई पो0-चिरैली थाना खिजरसराय जिला-गया एमसी0एस-एफ 89614	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	किरण देवी पति-उपेन्द्र सिंह ग्राम-तीनकोनी पो0-चवरदानो थाना दरपा जिला-पूर्वी चम्पारण एमसी0एस-जी0 10527	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	उमा देवी पति-स्व0 बच्चु गोप ग्राम-पक्की गोरैया मुगलपुरा वार्ड 60 पो0-झाउगज थाना खाजेकला जिला पटना एम0सी0एस-एफ 96769	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

47	अशिष्ट प्रसाद सिंह पिता-गणेश प्रसाद सिंह ग्राम-तुलसीपुर गोरघट 02 पो0-गोरघट थाना-बरियारपुर जिला-मुगेर एम0सी0एस-जी0 10948	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	ललिता देवी पति-सुरेन्द्र पासवान ग्राम-चरगाँह पो0-तुरकौलीया थाना-तुरकौलीया जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-जी0 2968	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	धर्मशीला देवी पति-जितेन्द्र पासवान ग्राम बराह पोस्ट-बराह थाना-रानी तालाब जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 7942	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	विजेन्द्र कुमार राय पिता-स्व0 परशुराम राय ग्राम+पोस्ट-रामपुर थाना-राजपुर जिला-बक्सर एम0सी0एस-जी0 7962	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
51	मास्टर सरफराज पिता-मो0 जुबेर असारी ग्राम-पुरानागज वार्ड 11 पो0-पुरानागज थाना बायसी जिला पूर्णिया एम0सी0एस जी0 11533	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	मगल राय पिता-छतरी राय ग्राम-परमानंदपुर पो0-परमानंदपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 7512	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	संजो देवी पति-सुशील कुमार मंडल ग्राम-दहियारगंज वार्ड 12 पो0+थाना-हसनगज जिला कटिहार एम0सी0एस-एफ 82580	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	अमन कुमार सिंह पिता-संतोष सिंह ग्राम+पो0-फरीदपुर थाना-हुसैनगज जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 80823	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	नागेश्वर सिंह पिता-कमलेश्वरी सिंह ग्राम-नवटोलिया बन्नी पो0-बाबु बगीचा थाना-महेश खुँट जिला खगडिया एम0सी0एस-एफ 76402	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
56	राजेश बहरदार पिता-स्व0 कृत्यानन्द बहरदार ग्राम-पो0-फतेहपुर थाना-नरपतगंज जिला अररिया एम0सी0एस-जी0 10625	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	रीता देवी पति-दिनेश्वर राय ग्राम-रहीमपुर पो0-रहीमपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 74879	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	इदु देवी पति-विनोद कुमार ग्राम+पोस्ट-मुरगांव थाना-हुलासगज जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 91483	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
59	आशा देवी पति-प्रमोद कुमार राय ग्राम-जहागीरपुर पटेढा पोस्ट-सराय थाना-सराय जिला-वैशाली एम0सी0एस-जी0 6768	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	अशोक महतो पिता-स्व0 रामेश्वर महतो ग्राम-बिरुआचक पो0-झाउगज थाना-मेंहदीगज जिला पटना एम0सी0एस-जी0 1959	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	मजु देवी पति-विनोद पडित ग्राम-बसहा मिर्जापुर पो0-मिर्जापुर थाना-अशोक पेपर मिल जिला दरभंगा एम0सी0एस0न0-एफ 81938	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	आवला देवी पति-बशिष्ठ ठाकुर ग्राम-मीरगज पोस्ट+थाना-आरा जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 39671	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
63	निरंजन कुमार पिता-श्याम सुंदर मडल ग्राम-शोभनडीह पो0+थाना-हवेली खडगपुर जिला मुगेर एम0सी0एस-जी0 10042	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	बाबु लाल प्रसाद पिता-राम नारायण प्रसाद ग्राम-कोटवाँ पो0+थाना-बरौली जिला गोपालगज एम0सी0एस-एफ 96886	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
65	अजय बैठा पिता-लखन बैठा ग्राम-बलुआहा पो0-गोबर सिथा थाना-कल्याणपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 11123	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
66	सुषमा देवी पति-सुरेश राम ग्राम-देवापुर पुरदिल टोला पो0-माझागढ थाना-मांझागढ जिला-गोपालगज एम0सी0एस-जी0 11406	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
67	फरमीदा खातुन पति-मोहम्मद आलउद्दीन ग्राम-शुमाली पोस्ट-शेरघाटी थाना-शेरघाटी जिला-गया एम0सी0एस-एफ 44495	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

68	सिन्दु पडित पिता-आनंदी पडित ग्राम-तमौनी शाहपुर सिमरिया पो0-सिमरीया थाना कजरैली जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 10569	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
69	रघुवर महतो पिता-स्व0 बहादुर महतो ग्राम-पो0-पुरैना थाना-योगापट्टी जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 9599	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
70	कौशलया देवी पति-शंकर राम ग्राम+पो0-सुपौल थाना-सुपौल जिला-सुपौल एम0सी0एस-जी0 876	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
71	अजय कुमार सिंह पिता-छबीला सिंह ग्राम-जौकटिया पो0-जौकटिया थाना-मझौलीया जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-जी0 10328	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत
72	प्रमिला देवी पति-जवाहर ठाकुर ग्राम-रजपा पो0-तीरा जटमलपुर थाना-कल्याणपुर जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 82474	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	प्रवीण खातुन पति-मो0 उसमान खान ग्राम-राजनपुरा पो0-राजनपुरा थाना-एम एच नगर जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 10792	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
74	प्रमिला देवी पति-छटु सिंह ग्राम-सलथुआ शिवपुर टोला पो0-सलथुआ थाना-कुदरा जिला कैमुर भभुआ एम0सी0एस-एफ 94489	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	मजु देवी पति-बिरेन्द्र सिंह ग्राम-ठोरी पाडेयपुर पो0-मुरार थाना-मुरार जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 35022	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
76	नीतीश कुमार पिता-विमिलेश सहनी ग्राम-सहनौली कटरा पो0-इमरी थाना-कटरा जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-जी0 11216	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	कृष्णावती देवी पति-तेज नारायण सिंह ग्राम+पो0-भानपुर थाना-दिनारा जिला-रोहतास एम0सी0एस-जी0 11552	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	अवधेश प्रसाद मडल पिता-ध्यनी मडल ग्राम-बिरनिया वार्ड 13 पो0-सोनदीप थाना-भवानीपुर जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 9327	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	गोपाल साह पिता-सुशील साह ग्राम-कजार पो0-केदुआर थाना अमरपुर जिला-बांका एम0सी0एस-जी0 10363	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	फुलवती देवी पति-महापति महतो ग्राम-मानपुर पो0-दीघवारा थाना-दीघवारा जिला-सारण छपरा एम0सी0एस-एफ 83036	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
81	सरिता देवी पति-स्व0 लीलधारी यादव ग्राम-गोपालकेडा पो0-फतेहपुर थाना-फतेहपुर जिला-गया एम0सी0एस-जी0 11477	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	प्रिस कुमार पिता-संतोष सिंह ग्राम-नावा नगर पो0-कुचीला थाना कोचस जिला-रोहतास एम0सी0एस-जी0 11115	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	मो0 आरिफ पिता-मो0 तौहीद ग्राम-गेवाल बिगहा पहारीतर पो0-शहमीर तकिया थाना-रामपुर जिला-गया एम0सी0एस-एफ 61135	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	राम झा पिता-स्व0 हरि नारायण झा ग्राम-बलहा पो0-अटौर थाना-बहेडा जिला-दरभंगा एम0सी0एस-जी0 11003	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	जगदेव यादव पिता-ठाकुर यादव ग्राम+पो0-कोरियापट्टी पश्चिम थाना जदिया जिला-सुपौल एम0सी0एस-जी0 9711	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	सजय यादव पिता-नरेश यादव ग्राम+पो0-चम्पा नगर थाना-नाथ नगर जिला भागलपुर एम0सी0एस-जी0 10422	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	उषा देवी पति-मुरारी पासवान ग्राम-तेघरागज पोस्ट-तेघरा थाना-तेघरा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 6670	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	गौरव कुमार झा पिता-सुमन कुमार झा ग्राम+पो0-बीरसैर थाना सकरी जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 8686	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	गुडदी देवी पति-सुरेश चौधरी ग्राम-सिधवल पो0-तेतरिया थाना-हुसैनगज जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 10515	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	राम दुलारी देवी पति-बैजनाथ साह ग्राम-सातनपुर पो0-सातनपुर थाना उजियारपुर जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 9956	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	बिरेन्द्र गोड पिता-लालमोहर गोड ग्राम-हेमदापुर पो0-परसीया थाना-चक्की ओ0पी0 जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 11286	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	अखिलेश राय पिता-देवबालक राय ग्राम-सिगाही पो0-मेहरौली थाना-डोरीगज जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 11764	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	राम दुलारी देवी पति-स्व0 राजेन्द्र राय ग्राम-चिन्तामनपुर मौला पो0-कमला गोपालपुर थाना-मनेर जिला पटना एम0सी0एस-जी0 10763	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	आलोक कुमार पिता-पुरुषोत्तम सिंह ग्राम-सैदनपुर पो0-नन्दलालाबाद थाना-गौरीचक जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 658	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	भुलकून देवी पति-बुचकून चौपाल ग्राम-कैथबार वार्ड 11 पो0-कैथबार थाना-सकतपुर जिला दरभंगा एम0सी0एस-एफ 92554	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

96	जयवती देवी पति-उदय कुमार ग्राम-रौना पो0-गुरारू थाना-कोच जिला-गया एम0सी0एस-एफ 92340	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
97	अजाना खातुन पति-मो0 नेहाल ग्राम-धनछुही पो0-लहुआर थाना-राजगीर जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 10846	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	नन्हकु प्रसाद यादव पिता-सिहेश्वर यादव ग्राम-नरदह पो0-नया टोला थाना-पुरैनी बाजार जिला मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 10817	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	राम कुमारी देवी पति-राजेन्द्र यादव ग्राम-बोदाय वार्ड 15 पो0-सोनरे थाना-लखनौर जिला-मधुबनी एम0सी0एस-ई0 87827	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	रामरती देवी पति-राम बाबु चौरसीया ग्राम-सिरसिया बाजार पो0 सिरसिया बाजार थाना-बेला जिला-सीतामढी एम0सी0एस-जी0 10382	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	सिमरिया देवी पति-महेन्द्र राम ग्राम-बिरजु बिगहा पो0-जाट डुमरी थाना-पुनपुन जिला पटना एम0सी0एस-एफ 71640	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	हीरा देवी पति-कमानन्द झा ग्राम-सितुहर पो0-श्रीपुर थाना-प्रतापगंज जिला-सुपौल एम0सी0एस-एफ 98672	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

103	शिशिर दास पिता-सदानंद दास ग्राम लुतीपुर पो0-सुधानी थाना-बलरामपुर जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 29423	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	बीबी रूखसाना खातुन पति-मो0 आफताब आलम ग्राम-देवधा वार्ड 05 पो0-गढबनैली थाना-कसबा जिला-पूर्णिया एम0सी0एस-एफ 84126	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
105	गीता देवी पति-धर्मनाथ सिंह ग्राम-दिघवारा पो0-दिघवारा थाना दिघवारा जिला सारण एम0सी0एस-जी0 10662	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	अकुश कुमार पिता-बिगन राय ग्राम-पुरानी पानापुर पोस्ट-दीघा थाना-दानापुर जिला पटना एम0सी0एस-जी0 4388	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
107	रवि कुमार पिता दिनेश प्रसाद गुप्ता ग्राम-परमेश्वर सिंह लेन विजय बाबु गली, पो0-कदमकुंआ थाना कदमकुंआ जिला पटना एम0सी0एस-जी0 7407	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
108	प्रमिला सेनापति पति उमा शकर सेनापति ग्राम-बसत बिहार कोलनी पो0-जी0पी0ओ0 थाना-कृष्णापुरी जिला पटना एम0सी0एस-जी0 37	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
109	रीता देवी पति-मलिन्दर राय ग्राम-पहाडीचक 05 पो0-सोनपुर थाना-सोनपुर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 11038	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

110	शोभा कुमारी पति-अनिल कुमार साह ग्राम-कोल्हुआ पो0-करनपुरा थाना-मरहौरा जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 97885	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	राकेश कुमार पिता-स्व0 सदन प्रसाद सिंह ग्राम-सरस्वती भवन चादमारी रोड गली न0-8 वार्ड 35 पो0-लोहिया नगर थाना-ककडबाग जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 10713	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	अखिलेश सिंह पिता-कल्पु सिंह ग्राम-पुरनदाही पो0-भतौरा थाना-हथौडी जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 8702	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
113	दोहारी देवी पति-चन्द्रशेखर महतो ग्राम-रसुलपुर पो0-नया गाव थाना-नया गाव जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 93430	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
114	यामुन प्रसाद यादव पिता-गुणेश्वर यादव ग्राम-बमराहा पो0-बसुआरी थाना-घोघरडीहा जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 94204	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
115	बेचन यादव पिता-सरयुग यादव ग्राम-अमहा वार्ड 03 पो0-अमहा थाना+जिला सुपौल एम0सी0एस-एफ 95735	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

116	कान्ति देवी पति-स्व० बिशुनधारी मिस्त्री ग्राम-अमवां पो०-अमवा थाना-बोध गया जिला- गया एम०सी०एस-जी० 10488	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
117	शैला देवी पति-कपिलदेव महतो ग्राम-सलखन्नी पो०-मोखित्यारपुर थाना-दलसिह सराय जिला-समस्तीपुर एम०सी०एस-एफ 90050	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
118	जमीला खातुन पति-हातिम मियां ग्राम-दुर्ग मटिहनिया पो०-दुर्ग मटिहनिया थाना-विश्वम्भरपुर जिला-गोपालगंज एम०सी०एस-जी० 11292	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
119	आनंदी कुमारी पिता-मंजी कुमार सिंह ग्राम+पो०-महरोढ थाना-नटवार जिला-रोहतास एम०सी०एस-जी० 6803	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
120	फारे मोहम्मद पिता-मो० हनीफ ग्राम-खुटिया पो०-खाकसा थाना बायसी जिला पूर्णिया एम०सी०एस-जी० 10895	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
121	सुनिता देवी पति-कन्हैया दास ग्रा-जयपाल पट्टी पो०+थाना मधेपुरा जिला मधेपुरा एम०सी०एस-जी० 10794	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
122	तेतरा देवी पति-लक्समन महतो ग्राम-गुरुवलिया शिवाला पो०-गुरुलिया थाना मनुआपुल जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-जी० 6265	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

123	राजेन्द्र प्रसाद बिहारी पिता-स्व बनारसी लाल बिहारी ग्राम-कलाली रोड गढ पर पो0+थाना नवादा जिला-नवादा एम0सी0एस-जी0 10501	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
124	शिवरातो देवी पति-हजारी साह ग्राम-विष्णुपुरा पो0-गुल्लेनगज थाना-मुफ्फसिल जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 63346	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
125	कमली देवी पति-महेन्द्र मडल ग्राम-कारु टोला शेखपुरा पो0-श्रीपुर थाना-भवानीपुर जिला पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 10423	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
126	बीना देवी पति-महेश श्रीवास्तव ग्राम-गोपाल मठ पो0-भगवानपुर जिला गोपालगज एम0सी0एस-डी0 5386	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
127	अनिल प्रसाद पिता-स्व0 जमुना प्रसाद ग्राम-देवी स्थान पथरी घाट पो0-गुलजारबाग थाना आलमगंज जिला पटना एम0सी0एस-एफ 19743	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
128	अजय वर्मा पिता-किशुनदेव महतो ग्राम-श्रीवर 03 पो0-गोपालपुर थाना नौबतपुर जिला पटना एम0सी0एस-जी0 10771	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
129	सुमिला देवी पति-उमेश प्रसाद सिंह ग्राम-उतरवारी टोला पो0-सिधिया थाना-सिधिया जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 10573	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

130	रीता देवी पति-अमरजीत ठाकुर ग्राम-आलमपुर पो0-गढसिसई थाना विद्यापति नगर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 92028	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
131	पुजा कुमारी पिता-सुभाष यादव ग्राम-पतघाघर पो0-खपरा थाना-सग्रामपुर जिला मुगेर एम0सी0एस-जी0 9883	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
132	शिव कुमारी देवी पति-पुकार माझी ग्राम-भोपतपुर पो0-शरीफ जलालपुर थाना-बसतपुर जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 97320	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
133	नेहा सिंह पति- कैलाश कुमार सिंह ग्राम- दरिहारा निशक पो0- दरिहारा थाना- दरियापुर जिला- सारण एमसीएस न0- एफ 81153	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
134	कुमार नरेंद्र पिता- बृजनंदन सिंह ग्राम- दुर्गा भवन चौधरी टोला पो0- महेन्द्र थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना एमसीएस न0- एफ 8686	कैसर रोग	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
135	मजू देवी पति- नारायण सिंह ग्राम+पो0- राजबाग थाना- पुपरी जिला- सीतामढी एमसीएस न0- जी 12706	कैसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
136	मो0 मुस्लिम पिता- मो0 हुसैन ग्राम- पचमा मिलिक पो0- मडवा थाना- कोढा जिला- कटिहार एमसीएस न0- जी 7371	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

137	सहिदा खातून पति- अब्दुल सलाम ग्राम- लोहजीरा पो0+थाना- माझागढ जिला- गोपालगंज एमसीएस न0- जी 7757	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
138	सत्येन्द्र प्रसाद शर्मा पिता- बट्टी नारायण शर्मा ग्राम+पो0- फखरपुर थाना- अरवल जिला- अरवल एमसीएस नं0- जी0 10819	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
139	एकतेसाम अंसारी पिता- मो0 मसूद अंसारी ग्राम- धुबगंज पो0- खरीक बाजार थाना- खरिक जिला- भागलपुर एमसीएस न0- जी 12049	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
140	नितेश कुमार दुबे पिता- केदार दुबे ग्राम- नवादा पो0- दाउदनगर थाना- वैशाली जिला- वैशाली एमसीएस न0- जी 11556	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
141	मैना देवी पति- सुरेंद्र मुसहर ग्राम- रामपुर बगीचा टोला पो0- रामपुर थाना- लौकरिया जिला- पश्चिम चम्पारण एमसीएस न0- जी 7668	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
142	बबिता देवी पति- भूनेश्वर साव ग्राम- बिशुनगंज पो0- सिविल एरोड्राम थाना- मगध मेडिकल जिला- गयाजी एमसीएस न0- ई 32956	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
143	बीबी सहूदा खातून पति- मो0 नेसार ग्राम- चम्पानाला रोड मदनिनगर वार्ड 04 पो0- चम्पानगर थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर एमसीएस न0- जी 4610	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

144	शाति देवी पति- उमाकांत तिवारी ग्राम- बकुलहर वार्ड 03 पो0- बकुलहर थाना- गोपालपुर जिला- पश्चिम चम्पारण एमसीएस न0- जी 11428	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
145	बिभीषन यादव पिता- नागो यादव ग्राम- लालुनगर पो0- सग्रामपुर थाना- बेलहर जिला- बाका एमसीएस न0- जी 11413	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
146	सोनी देवी पति- सुधीर राय ग्राम- मोहनपुर वार्ड 02 पो0- बरियारपुर थाना- पियर जिला- मुजफ्फरपुर एमसीएस न0- जी 10922	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
147	अनम प्रवीण पिता- मो0 साविर ग्राम- दक्षिण तरफ बूढानगर पो0+थाना- इस्लामपुर जिला- नालंदा एमसीएस न0- जी 11996	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
148	नरेश साव पिता- पचारतना साव ग्राम- बरकत बिगहा पो0- बुनियादगज थाना- मुफसिल जिला- गयाजी एमसीएस न0- जी 10455	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
149	कमरूणा खातून पति- मो0 शमशेर असारी ग्राम- बद्री टोला बशेठा पो0+थाना- चौसा जिला- मधेपुरा एमसीएस न0- जी 10930	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
150	मिरवा देवी पति- नागेश्वर पंडित ग्राम- मधुरापुर पो0- नारायणपुर थाना- भवानीपुर जिला- भागलपुर एमसीएस नं0- जी 7258	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

151	बाबी देवी पति- राजू कुमार सिंह ग्राम+पो0- परशुरामपुर थाना- अमनौर जिला- सारण एमसीएस नं0- जी 11578	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
152	मनौवर हुसैन पिता- जियाउद्दीन ग्राम- मीनापुर पो0- बघवा थाना- बलिया जिला- कटिहार एमसीएस न0- एफ 97774	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
153	नदनी कुमारी पिता- टीपू नोनिया ग्राम- बिशुनपुर पो0- हुसैनपुर थाना- बिद जिला- नालदा एमसीएस न0- जी 11106	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
154	मास्टर राहुल कुमार पिता- बबलू यादव ग्राम+पो0- भुसवर थाना- बिभूतिपुर जिला- समसतीपुर एमसीएस न0- जी 11093	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
155	मास्टर सिद्धात कुमार पिता- जीतेन्द्र कुमार ग्राम- बेलही पो0- रामपुर थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण एमसीएस न0- जी 11626	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
156	अजीला देवी पति- रासनारायण नायक ग्राम+पो0+थाना- साहरघाट जिला- मधुबनी एमसीएस नं0- जी 8802	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
157	महावीर सिंह पिता- लखु सिंह ग्राम+पो0- जोगता थाना- चांदी जिला- भोजपुर एमसीएस न0- जी 10096	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

158	अवधेश प्रसाद सिंह पिता- लालचंद सिंह ग्राम+पो0- अछुआ थाना- दुल्हिन बाजार जिला- पटना एमसीएस नं0- जी 10262	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
159	कौशल्या देवी पति- चनेश्वर महतो ग्राम- रूस्तमगज पो0+थाना- नौबतपुर जिला- पटना एमसीएस नं0- जी 10730	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
160	कमरूल होदा पिता- मोटर शेख ग्राम- महेशपुर पो0- डी के शिकारपुर थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण एमसीएस नं0- जी 11051	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
161	सुनैना देवी पति- बिन्दा साहनी ग्राम- पहाडपुर पो0- बाजितपुर करनैल थाना- हलई जिला- समस्तीपुर एमसीएस नं0- जी 11308	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
162	धर्मशीला देवी पति- स्व0 यशवत सिंह ग्राम- चकपर पो0+थाना- राजगीर जिला- नालंदा एमसीएस नं0- जी 11025	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
163	अनीता देवी पति- मणिकात झा ग्राम- दरभंगा वार्ड 09 पो0- नौरी थाना- बिरौल जिला- दरभंगा एमसीएस नं0- जी 11886	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
164	रीता कुमारी पति- अशोक कुमार ग्राम- ब्रह्मस्थान पो0- भौकिला थाना- हिलसा जिला- नालंदा एमसीएस नं0- एफ 41955	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।

165	पारवती देवी पति- दिनेश बिद ग्राम- खिरौटी गढ पो0- कोरमा थाना- घोषी जिला- जहानाबाद एमसीएस न0- जी0 1878	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
166	अजू आरा पति- मो0 जहांगीर ग्राम- मसनदपुर पो0+थाना- सालमारी जिला- कटिहार एमसीएस न0- जी 11469	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
167	मो0 नसीम आलम पिता- उस्मान मिया ग्राम- कुजाप पो0- कुजापी थाना- चन्दौती जिला- गयाजी एमसीएस न0- जी 10202	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
168	हमीदा खातून पति- मजूर आलम ग्राम- सेमरिया टोला बरवा वार्ड 05 पो0- सेमरिया थाना- कटेया जिला- गोपालगज एमसीएस न0- एफ 65387	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
169	उषा देवी पति- हरेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- चोंदपुरा सलखन्नी थाना- महुआ जिला- वैशाली एमसीएस न0- 78170	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
170	कमरून खातून पति- ओली ग्राम- टपपू टोला वार्ड 13 पिपरा पो0- पिपरा थाना- जागबनी जिला- अररिया एमसीएस न0- जी 6068	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
171	विभा देवी पति- सुशील कुमार सिंह ग्राम- रामपुर पो0- मझागैन थाना- सग्रामपुर जिला- मुगेर एमसीएस न0- एफ 91609	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।

172	शमसेरा नूरी पिता- मो० आबुल ग्राम- बनिया गाछ वार्ड 16 पो०+थाना- टाकुरगज जिला- किशनगज एमसीएस न०- जी 8890	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
173	निरंजन कुमार प्रसाद पिता- सयमाकान्त राय ग्राम- चक अब्दुल गाणी मोतनजे पो०+थाना- मेहसी जिला- पूर्वी चम्पारण एमसीएस न०- एफ 96391	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
174	शिव कुमार कुवर पिता- विशुन देव कुवर ग्राम- परसा मथुरा पो०+थाना- परसा जिला- सारण एमसीएस न०- जी 9668	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
175	भवेश मंडल पिता- वकील मंडल ग्राम- फनहन पो०- रहटा थाना- उदाकिशुनगज जिला- मधेपुरा एमसीएस न०- जी 1090	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
176	दीपनारायण साह पिता- लक्ष्मी साह ग्राम+पो०+थाना- बहेरा जिला- दरभंगा एमसीएस न०- जी 8556	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
177	जूही प्रवीण पिता- मजूर आलम ग्राम- मस्जिद बाजार वार्ड 08 पो०+थाना- बहादुरगंज जिला- किशनगज एमसीएस न०- जी 11695	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
178	कृपाल तिवारी पिता- सुनील तिवारी ग्राम- पावा वार्ड 06 पो०- पावा थाना- दीपनगर जिला- नालदा एमसीएस न०- जी 99134	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।

179	मीरा देवी पति- ललन प्रसाद ग्राम- गमहरिया खुर्द पो0- किशुनपुर थाना- जलालपुर जिला- सारण एमसीएस न0- एफ 82714	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
180	महरगिया देवी पति- हीरा लाल दास ग्राम- बरियारा पो0- पुरपथार थाना- छौडाही जिला- बेगूसराय एमसीएस नं0- जी 10221	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
181	गोपाल कुमार मोदक पिता- धिरेन्द्र नाथ मोदक ग्राम- पोखरिया पो0- सकोला थाना- आबादपुर जिला- कटिहार एमसीएस नं0- जी 10943	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
182	सुमन कुमारी पिता- जीवस कुमार ग्राम- बाजितपुर पो0- मिर्जापुर बणद्वार थाना- मुफसिल जिला- बेगूसराय एमसीएस न0- जी 11274	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
183	गीता देवी पति- उमेश कुमार ग्राम- जमुआरा खुर्द पो0+थाना- रौशनगज जिला- गयाजी एमसीएस न0- 9375	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
184	साक्षी कुमारी पिता- सुबोध कुमार ग्राम- नौजर घाट दीवान मोहल्ला पो0- झाऊगज थाना- खाजेकला जिला- पटना एमसीएस न0- जी 9458	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।

185	सचिदानन्द राम पिता- स्व० गोगा राम ग्राम- धकनी पो०- लसरी थाना- चौरी जिला- भोजपुर एमसीएस न०- एफ 74188	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
186	तनवीर पिता- अब्बास ग्राम- डुमरिया पो०- बिस्टोरिया थाना- रानीगज जिला- अररिया एमसीएस न०- जी 9430	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
187	तेतरी देवी पति- रामचद्र साह ग्राम- मियापुर दुबौली वार्ड 07 पो०- बगही रतनपुर थाना- बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण एमसीएस न०- जी 4573	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार सवीकृत।
188	पिन्दू कुमार यादव पिता- अशोक यादव ग्राम+पो०+थाना- सिकंदरा जिला- जमुई एमसीएस न०- जी 10067	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
189	कान्ति देवी पति- लालबिहारी साव ग्राम- सत्तर पो०- सराय थाना- मनेर जिला- पटना एमसीएस न०- एफ 78630	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
190	महेद्र सहनी पिता- टीपू सहनी ग्राम- सुपौल बाजार हटगाछी पो०+थाना- बिरौल जिला- दरभंगा एमसीएस न०- एफ 6003	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
191	मो० सजीर पिता- मो० इसलाम ग्राम- कहरा वार्ड 24 पो०+थाना- सहरसा जिला- सहरसा एमसीएस न०- जी 11792	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

192	नगीना खातून पति- नूर मोहम्मद ग्राम+पो0+थाना- देसरी जिला- वैशाली एमसीएस न0- जी 11066	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
193	सीताराम साह पिता- सव0 गणपत साह ग्राम- सतकोदरिया पो0- अचलपुर थाना- राघोपुर जिला- सुपौल एमसीएस न0- जी 11570	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
194	मो0 इलताफ पिता- तमिजाद्दीन ग्राम- हिम्मतनगर पो0- मोधो हाट थाना- कोचाधामन जिला- किशनगज एमसीएस नं0- जी 11368	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
195	अभिषक रविदास पिता- विजेंद्र रविदास ग्राम- कोरियावां पो0- सोरमपुर थाना- जानीपुर जिला- पटना एमसीएस न0- जी 11188	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
196	उमरावती देवी पति- दरोगा महतो ग्राम- बडुआ वार्ड 10 पो0- रामनगर थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान एमसीएस न0- जी 7863	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
197	शील कुमार राय पिता- बैजू राय ग्राम- चादचौर रामनगर पो0- बेलामेघ थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर एमसीएस नं0- एफ 11179	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
198	आशा देवी पति- विधानन्द सिंह ग्राम- करना पो0+थाना- परबत्ता जिला- खगडिया एमसीएस न0- जी 10411	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

199	उमेश प्रसाद सिंह पिता- मुलाय प्रसाद सिंह ग्राम- बेलसिरा पो0- गौरचौकी थाना- कजरैली जिला- भागलपुर एमसीएस न0- जी 8132	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
200	बालेश्वर रविदास पिता- रामकिशुन रविदास ग्राम- झरहा पो0- पुनौल थाना- गुरुआ जिला- गयाजी एमसीएस न0- एफ 51070	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
201	लालेन्द्र प्रसाद यादव पिता- अधिकलाल यादव ग्राम- चपराम पो0- बिरौल थाना- मादेपुर जिला- मधुबनी एमसीएस न0- एफ 10899	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
202	बच्चू राय पिता- नन्दलाल राय ग्राम- मानीक चक वार्ड 12 पो0- बजहिया थाना- दरियापुर जिला- सारण एमसीएस न0- जी 8629	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
203	सामत कुमार पिता- नन्द किशोर चौधरी ग्राम- कुआरी पो0- मधौल थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर एमसीएस न0- एफ 85730	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			<b>1,55,85,000</b>	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,55,85,000/- (एक करोड़ पचपन लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002577 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं0 **3601018437** खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्द्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 मे अतरित किया जाता है।

3

गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक

537(14)

पटना, दिनांक 25/2/26

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002597 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
जीवक हार्ट अस्पताल एव शोध संस्थान प्रा० लि०,  
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक .....

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विदेश्वरी यादव पिता- स्व० रामलाल यादव ग्राम- गोलहा पो०- मानुल्लाहपट्टी थाना- भरगामा जिला- अररिया	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	आफताब आलम पिता- लतिफुर रहमान ग्राम- गौशला रोड डुमराँव पो०+थाना- डुमराव जिला- बक्सर	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	बिपुल कुमार पिता- महेश यादव ग्राम- लहेरिया टोला वार्ड 11 पो०+थाना- मोकामा जिला- पटना	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	त्रिपुरारी प्रसाद सिंह पिता- मोती प्रसाद सिंह ग्राम- रंमीबिघा वार्ड 10 पो०- कोणंद थाना- अस्थवां जिला- नालदा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			3,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002597.... द्वारा



आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम—“निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध सस्थान प्रा० लि० कंकडबाग, पटना” खाते का प्रकार— चालू, बैंक का नाम—इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम—कंकडबाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसूली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा


निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/01/2026

ज्ञापाक 540(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
फूलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	हरिनाथ राउत पिता- पशुराम राउत ग्राम- खराटी पो०+थाना- तरैया जिला- सारण	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मीना देवी पति- अशोक कुमार ग्राम- पहडपुरा पो०+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालदा	टोटल नी रिफ्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	अमित कुमार पिता- उमेश सिंह ग्राम- रेवतिथ वार्ड 05 पो०- रेवतिथ थाना- बैकुंठपुर जिला- गोपालगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	धीरज चौधरी पिता- देवनारायण चौधरी ग्राम+पो०- गोधना थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			4,30,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,30,000/- (चार लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002597... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना,बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक


541 (14)

पटना, दिनांक

25/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई0 टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
राजेश्वर अस्पताल,  
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,  
कंकडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रमेश कुमार पिता- स्व0 राम प्रीत मिस्त्री ग्राम- गोला रोड बैंक कॉलोनी फ्रन्ट ऑफ लेन न0- 02 पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	मो0 जाकिर हुसैन पिता- मो0 महफूज आलम ग्राम- हयवाडांगा वार्ड 08 पो0+थाना- दिघलबैंक जिला- किशनगज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			₹ 2,40,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 00.25.77 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन


ह०/-  
(डा० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 542(14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,  
राजाबाजार,  
पटना- 800014

पटना, दिनांक.. . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिनोद कुमार पिता- किशोरी प्रसाद ग्राम- हिरा कन्हौली पो०- कन्हौली गजपति थाना- परसौनी जिला- सीतामढी यूएचआईडी न०- 3000500442	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	विद्यासागर यादव पिता- रामनरेश यादव ग्राम- फुलबन पो०- टटुआर थाना- मनगाछी जिला- दरभंगा यूएचआईडी न०- 3000602806	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पन्ना लाल मंडल पिता- महादेव मंडल ग्राम- जोरावरगंज पो०- इस्रसाईन कलां थाना- कुमारखड जिला- मधेपुरा यूएचआईडी न०- 3000620565	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	फूलमती देवी पति- जयराम राम ग्राम+पो०- कोर्वा थाना- घोषी जिला- जहानाबाद यूएचआईडी न०- 3000617597	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	फरहत बेगम पति- मोहम्मद उमर फारूक ग्राम- शहरिया पो0- बॉसगढ थाना- बरारी जिला- कटिहार यूएचआईडी नं0- 3000605385	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	नरगिश खातून पति- मो0 शहवाज ग्राम- रामचंद्रपुर पो0- झखरा थाना- सरायरजन जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी नं0- 3000608723	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रामनयन प्रसाद पिता- स्व0 अमरनाथ प्रसाद ग्राम- अमर कुटीर मोहनपुर पुनाईचक पो0+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना यूएचआईडी नं0- 3000601364	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सुरेश साह पिता- रामाधार साह ग्राम- बलडीहॉ पो0- तालीमापुर थाना- जामो बाजार जिला- सिवान यूएचआईडी नं0- 3000621067	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	श्याम कुमार पिता- सत्य नारायण प्रसाद ग्राम- रतनपुरा पो0- बिठौली थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली यूएचआईडी नं0- 3000623024	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	अमृत कुमार पिता- काली प्रसाद ग्राम- केशोपुर केला बिगहा वार्ड 06 पो0+थाना- तेलहारा जिला- नालदा यूएचआईडी नं0- 3000464381	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	सुशांत कुमार सिंह पिता- अरुण कुमार सिंह ग्राम- झिकुली पो0+थाना- सग्रामपुर जिला- मुगोर यूएचआईडी नं0- 3000616411	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	केशव राज पिता- प्रवीण कुमार सिंह ग्राम- जगरनाथपुर वार्ड 04 पो0- हरपुर फटिकवारा थाना- महनार जिला- वैशाली यूएचआईडी न0- 3000194903	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	किरण कुमारी पति- कौशल राम ग्राम- राम टोला पो0+थाना- सिमरीबख्तियारपुर जिला- सहरसा रजि न0- 3000622720	गुदौ प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
14	चन्दन कुमार पिता- राज बालम सिंह ग्राम- झुनाठी खुर्द वार्ड 09 पो0- झुनाठी खुर्द थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद रजि नं0- 3000618379	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			12,90,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,90,000 /- (बारह लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002577..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1649826000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार

प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

6. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 543(14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 00.25.77 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
CISRO Hospital,  
सगुना मोड, दानापुर,  
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सीता कुमारी पति- रोहित कुमार ग्राम- फल गली नवादा पो0+थाना- नवादा जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	डौली कुमारी पिता- प्रिस कुमार ग्राम- मालगोदाम नवादा पो0+थाना- नवादा जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सुबेलाल चौहान पिता- द्वारिका चौहान ग्राम- आगत पो0- धीरा थाना- हलसी जिला- लखीसराय	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राधा देवी पति- मदन लाल ग्राम+पो0- लौद थाना- सिरदला जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	सबेया खातून पिता- मो0 समीम असारि ग्राम+पो0- मानुपुर थाना- दिघवारा जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।

6	रेनु देवी पति- प्रभाकर कुमार गुप्ता ग्राम+पो0- जगदीशपुर थाना- साहेबगज जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	महेश प्रसाद पिता- राजेद्र प्रसाद ग्राम+पो0- सवगिया थाना- मधुबन जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	अशरफ अली पिता- मो0 शमीउल्लाह ग्राम+पो0+थाना- जमालपुर जिला- दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	पल्लवी चौधरी पति- पवन कुमार चौधरी ग्राम-अभडा पोखड पो0+थाना- लहेरिया सराय जिला- दरभंगा	Fracture distal tibia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			8,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002577...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस0बी0आई0 ग्राउड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर0पीएस0 मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0011675 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में

इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/2/2026

ज्ञापाक 544(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/2/26  
निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
सर्राफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी  
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय  
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक. . . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजय कुमार पिता- संतोष कुमार ग्राम- पडासराय पो०+थाना- लहेरियासराय जिला- दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	कुमारी मनीषा ठाकुर पिता- ललित कुमार ठाकुर ग्राम- प्रगतिनगर पो०- भौवारा थाना- टाउन जिला- मधुबनी	ड्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
3	अनिकेत कुमार पिता- कैलसाह ठाकुर ग्राम- बाकरगंज पो०+थाना- लहेरियासराय जिला- दरभंगा	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
4	सुरेद्र यादव पिता- लाल यादव ग्राम- बखरी पो०- माहपारा थाना- पतौर जिला- दरभंगा	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
5	राधेश्याम यादव पिता- सोनफूल यादव ग्राम- सलहा पो०- बिरौली थाना- बेनीपट्टी जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	मो० तबरेज पिता- मो० जफर आलम ग्राम- पिपरौलीया पो०- तुलपत गज थाना- अररिया जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत
7	अर्चना कुमारी पिता- अनिल साहनी ग्राम+पो०- मुरिया थाना- लहेरिया सराय जिला- दरभंगा	ड्रामा	65,000	पैसठ हजार स्वीकृत।
8	वकील साहनी पिता- चरित्र साहनी ग्राम- महलीबेसी पो०- कटरा थाना- औराई जिला- मुजफ्फरपुर	ड्रामा	65,000	पैसठ हजार स्वीकृत।
9	गनौर राम पिता- कुती राम ग्राम+पो०- बाजिदपुर थाना- बाजपट्टी जिला- सीतामढी	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	उर्मिला देवी पिता- सूर्य नारायण सिंह ग्राम- बलुआही पो०- जनार्दनपुर थाना- मरौना जिला- सुपौल	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	सुमन ठाकुर पिता- सूर्यनारायण ठाकुर ग्राम+पो०- कालीगांव थाना- सघिवाडा जिला- दरभंगा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	मो० मुस्ताक पिता- मो० मुनीफ ग्राम- ठिकाहा पो०- मझौर थाना- नानपुर जिला- सीतामढी	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			₹ 8,00,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,00,000/- (आठ लाख) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्गाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर

- खाते का प्रकार— बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
  4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
  5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
  6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
  7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/2/2026

ज्ञापाक 545(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002577... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
24/2/26

सं0सं0-14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
रूबन मेमोरियल अस्पताल,  
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,  
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,  
पटना-800013

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।  
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेश कुमार पिता- स्व० पारस राम चौधरी ग्राम- नई मैनपुरा तारचक सगुणा मोर दानापुर पो०+थाना- दानापुर जिला- पटना	ACL	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	नीतू कुमारी पति- अमित कुमार राय ग्राम- तिलाठ पो०- देवचदा थाना- पीरो जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	ददन सिंह पिता- राम प्रसाद सिंह ग्राम- कैथहर कला पो०- सुजायातपुर थाना- धनसोई जिला- बक्सर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			3,15,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 3,15,000/- (तीन लाख पन्द्रह हजार) ₹० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं-32881734032 खाता

धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— State Bank of India शाखा का नाम —एस0एम0ई0 ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना—800001 RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 546 (14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक स0 00.25.97 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक/प्रमुख  
25/2/26

सं० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक/अधीक्षक,  
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (फ़ा०) लि०,  
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अराध्या कुमारी पिता- सुनील राम ग्राम- भदारी पो०- नालदा थाना- सिलाव जिला- नालदा	ड्रामा	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
2	सजय कुमार पिता- ओम प्रकाश कसौधन ग्राम- जहानाबाद पो०+थाना- कुदरा जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	रामअवतार पासवान पिता- राम बचन पासवान ग्राम+पो०- कझारूआ थाना- कोरस्रय जिला- बक्सर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सुरेश कुमार सिंह पिता- हरिवंश नारायण सिंह ग्राम- अमनौर सुल्तान पो०+थाना- अमनौर जिला- सारण	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
5	ललन प्रसाद पिता- राजेंद्र प्रसाद ग्राम+पो०+थाना- दनियावा जिला- पटना	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	पूनम देवी पति- दयानन्द कुमार ग्राम- दरियापुर गोला केयर ऑफ डॉ० कमल प्रसाद साह पो०- बांकीपुर थाना- कुदमकुआ जिला- पटना	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत
7	श्याम नदन प्रसाद पिता- कीशुदेव राय ग्राम- नई बिग्रहपुर पो०- जी०पी०ओ० थाना- जक्कनपुर जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	सकली देवी पति- जैमगल सिंह ग्राम+पो०- पीरपुर मथुरा थाना- गोरौल जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
9	नबीसा बीबी पति- रियाजुद्दीन ग्राम+पो०- कर्मनाशा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग एमवीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	गुजन कुमारी पिता- मनोज सिंह ग्राम- बभनगामा पो०+थाना- बिहपुर जिला- भागलपुर	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	फुलवासी कुंवर पिता- घुरफेकन साह ग्राम+पो०- अमाव थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	रिंकी देवी पति- क्रांति पटेल ग्राम+पो०+थाना- बरौली जिला- गोपालगज	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	प्रीति कुमारी पिता- राधेश्याम साह ग्राम- मिश्रा करमा पो०- भकुरा थाना- तरारी जिला- भोजपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	रजू देवी पति- रामकुमार शर्मा ग्राम+पो०- नदन थाना- डुमराव जिला- बक्सर	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

15	अविनाश कुमार पिता- सर्वजीत शर्मा ग्राम- बरूरी पो0- कुरारी थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	रौब्वी कुमारी पिता- दिनेश कुमार ग्राम- सिमली मुरारपुर गौरी दास की भट्टी पो0- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
17	पिकू कुमार पिता- राकेश कुमार सिंह ग्राम+पो0- खोकसा बुजुर्ग थाना- देसरी जिला- वैशाली	Surgery Rirs+DJ Stent	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			14,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 14,10,000/- (चौदह लाख दस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 002597 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,  
शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से  
विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. पूर्व की शेष/अनप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 547(14)

पटना, दिनांक

25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
आस्था लोक हॉस्पिटल,  
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,  
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक ... ..

विषय:- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कन्हैया कुमार बहारदार पिता- बिशो बहारदार ग्राम+पो०+थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	रेशमा देवी पति- सूर्य नारायण पोद्दार ग्राम- सिमरहा टोला सुखासन पो०- सुखासन थाना- सिहेश्वर जिला- मधेपुरा	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	पैरा देवी पति- झकसु यादव ग्राम- पपरवा थाना- मनियारपुर थाना- बाँसी जिला- बाका	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			<b>2,25,000</b>	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,25,000/- (दो लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 50200006844472 खाता धारक का नाम- "आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम- एच० डी० एफ०

सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापक 548(14)

पटना, दिनांक

25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.002597...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे )/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
अधीक्षक,  
श्री साईं हॉस्पिटल  
(हार्ट युनिट) ई०-143  
साउथ मलाही पकडी चौक  
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	महेंद्र सिंह पिता- राजेश्वर सिंह ग्राम- सिञ्जुआ पो०- ऊपरी थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	ललन राम पिता- जवाहर राम ग्राम- चाननपुर पो०- अकौना थाना- मसौढी जिला- पटना	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रेनू देवी पति- मार्कण्डेय सिंह ग्राम+पो०- आमसारी थाना- मुरार जिला- बक्सर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	मास्टर अयान कुरैसी पिता- मो० बबलू कुरैसी ग्राम- ऐग्राही मस्जिद के पास शेख मोहल्ला पो०- सिवान थाना- नगर जिला- सिवान	हृदय रोग पीडीए	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	गायत्री देवी पति- रामबाबू राय ग्राम- जुराणवानपुर बरारी पो0- जुराणवानपुर थाना- जुरावनपुर जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			4,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,60,000/- (चार लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002597...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

549(14)

पटना, दिनांक

25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
अधीक्षक,  
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग  
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज  
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक ... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सच्चिदानन्द पिता- स्व० द्वारिका प्रसाद ग्राम- मोगलपुरा लाल मंदिर पो०- झाउगंज थाना- खाजेकला जिला- पटना	CLPD	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम- "अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 550(14)

पटना, दिनांक

25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002597...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

सवेश कैंसर एड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,

जीसी 5/जीसी 6,

डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,

कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक .....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मास्टर आलोक कुमार सिंह पिता- कुणाल सिंह ग्राम- मल्लेहपुर पो०- मलेहपुर थाना- मलयपुर जिला- जमुई	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 551(14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002597.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-01 /2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
बुद्धा कैसर सेटर,  
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,  
रूपसपुर, बेली रोड  
पटना-801503

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मीणा देवी पति- चन्देस्वर राय ग्राम- लक्ष्मीनारायणपुर पो०- पौर थाना- तिसिऔता जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	मुसीना खातुन पति- सलीम असारी ग्राम- मझरिया वार्ड 01 पो०- बोरवाल थाना- पटखौली जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	रामप्रवेश शर्मा पिता- सनीचर शर्मा ग्राम- बिशुनपुर पकडी वार्ड 05 पो०- पकरी थाना- बेउर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	विनोद कुमार पिता- अशोक प्रसाद ग्राम- काजी बाजार हिस्ला वार्ड 19 पो०+थाना- हिलसा जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	नूर फातमा पिता- नौरैज ग्राम- घुसकी टोला वार्ड 09 पो0- चरैया थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	मो0 सहजाद पिता- स्व0 मो0 असलम ग्राम- कोईलवर वार्ड 10 पो0+थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	निलम देवी पति- रमेश सिंह ग्राम- बाजीतपुर वार्ड 03 पो0- भाथा सोनहो थाना- परसा जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	आमना खातून पति- शोएब रेजा ग्राम- ताहिरपुर पो0- नानन पैर थाना- धौरैया जिला- बाका	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	मो0 जहीरुद्दीन पिता- मोहम्मद्दीन ग्राम- पानीसाल पो0- सिधिया थाना- किशनगज जिला- किशनगज	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	शेरा खातून पति- मो0 जेतुल शेख ग्राम- दुर्गापट्टी वार्ड 12 पो0- पिपरौन थाना- हरलाखी जिला- मधुबनी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	यासमिन पति- मो0 नौसाद ग्राम- शिव मंदिर दुजरा पहलवान घाट वार्ड 24 पो0- जी0पी0ओ0 थाना- बुद्धा कॉलोनी जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	अब्दुल वदूद पिता- अब्दुल मजीद ग्राम- वारिश नगर वार्ड 05 पो0- हेड पोस्ट ऑफिस थाना- कोतवाली जिला- गयाजी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

13	मुरारी पासवान पिता- मदन पासवान ग्राम- हनुमान नगर बेनीपुर पो0- बेनीपुर थाना- बहेडा जिला- दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	चित्रलेखा देवी पिता- हरी प्रसाद ग्राम- मलिकपुर पो0- पीरपैती बाजार थाना- पीरपैती जिला- भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
15	सरस्वती देवी पति- जनार्दन प्रसाद सिंह ग्राम- बलुआ वार्ड 09 पो0- कस दिअरा थाना- डोरीगज जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			10,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,40,000/- (दस लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 006597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 552(14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,  
निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए वॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रमेश कुमार यादव पिता- राम लखन राय ग्राम- गोरिया टोली वार्ड 28 पो०- जी०पी०ओ० थाना- कोतवाली जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	विश्वनाथ साह पिता- हरिनारायण साह ग्राम+पो०- महादेवपुर थाना- प्राणपुर जिला- कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कुन्दन कुमार पिता- परमानन्द सिंह ग्राम- समबलगढ दरियापुर पो०- दरियापुर थाना- बडहिया जिला- लखीसराय	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मांडवी देवी पति- उदय प्रसाद सिंह ग्राम- न्यू एरिया वार्ड 21 पो०+थाना- नवादा जिला- नवादा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	पुष्पा देवी पति- सुरेश सिंह ग्राम- करजान वार्ड 04 पो०- करजान थाना- अथमलगोला जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	दिनेश यादव पिता- जीतन यादव ग्राम+पो0- मगोबदर थाना- खेरा जिला- जमुई	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रीता देवी पति- नविन कुमार ग्राम- चकपर वार्ड 09 पो0+थाना- राजगीर जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	मुन्नी खातून पति- खुर्शीद आलम ग्राम- दरगाह बेलदार टोली वार्ड 50 पो0- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			6,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,20,000/- (छः लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं 002577 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना

में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 553 (14)

पटना, दिनांक 25/7/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002597...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
बीग अपोलो स्पेद्रा अस्पताल  
शीतला मंदिर रोड नीयर संप हाउस  
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक.. .. .

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजना देवी पति— उजागर सिंह ग्राम— बालूटोला पो०— बलहमपुर थाना— सिमरीबख्तियारपुर जिला— सहरसा	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	भवानी देवी पति— प्रशांत कुमार ग्राम— हेमराजपुर पो०— कामदेवपुर थाना— अमरपुर जिला— बाका	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नाजरा खातून पति— अनवर हुसैन ग्राम+पो०— दामोदरपुर थाना— कॉटी जिला— मुजफ्फरपुर	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			<b>2,60,000</b>	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002597.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं०- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 554 (14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002577 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे )/आई टी० मैसजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,  
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,  
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,  
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विनय कुमार पिता- विजेन्द्र प्रसाद ग्राम- केवलातल रायपुरा पो०+थाना- फतुआ जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मालती देवी पति- स्व० अशोक साव ग्राम- सब्जी मडी गयाघाट मोर पो०- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	दिलीप कुमार पिता- अर्जुन राय ग्राम- मोगलपूरा बरकत खान पो०- झाऊगज थाना- खाजेकला जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	जिमदार महतो पिता- हुलास महतो ग्राम- चकमहमद चिस्ती पो०- जदुआ थाना- गगाब्रिज जिला- वैशाली	ट्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	शर्मा देवी पति- दिलीप सिंह ग्राम- पिजरावन मुरका पो- सोहरा थाना- पालीगज जिला- पटना	द्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			3,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,75,000 /- (तीन लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं- 33569032861 खाता धारक का नाम- "ऑक्सीजन द्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम -गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। गरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 25/2/2026

ज्ञापक 555(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
25/2/2026

सं० सं० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,  
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,  
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित वीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अफसा तरन्नुम पति— मो० नेजमुद्दीन ग्राम— बक्सरिया टोला अपोजिट मलेरिआ ऑफिस पो०— महेन्द्रू थाना— सुल्तानगज जिला— पटना केस फाईल न०— 19एफ2026/001041	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राजेश्वर सिंह पिता— सूर्य देव सिंह ग्राम— छाजन हरिराय टोला पो०— छाजन हरिशकर थाना— कुढनी जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न०— 19एफ2024/003880	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	श्रवण महतो पिता— रामसागर महतो ग्राम— जयती ग्राम विसौवा पो०— नया नगर थाना— तेघडा जिला— बेगूसराय केस फाईल न०— 19एफ2025/005753	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	लालो शर्मा पिता— रामजी शर्मा ग्राम+पो०— देवठा थाना— पसरहा जिला— खगडिया केस फाईल न०— 20एफ2025/002264	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	कमाल अहमद पिता- शम्सुल होदा ग्राम- दादर पो0- कोल्हुआ पैगम्बरपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/005046	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	अरुण कुमार साह पिता- स्व0 यदु साह ग्राम- रगरेजा दपरा पो0+थाना मेसी जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न07 19एफ2025/006678	कैंसर रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
7	मीनू कुमारी पति- धर्मेन्द्र कुर ग्राम+पो0- हरनाही थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/005898	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	गणेश राम पिता- शिवराज राम ग्राम- गोखुला पो0- बिरहिमा बाजार थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024/004226	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सुजीत कुमार सिंह पिता- स्व0 कामेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम- पहलागढ पो0- सोनैली थाना- कदवा जिला- कटिहार केस फाईल न0- सीएल/13330	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	प्रमिला देवी पति- कृष्णनदन राय ग्राम- गोसाईपुर पो0- बहुआरा गोपी सिंह थाना- राजेपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025/005804	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	काकोली कृष्ण पिता- विनय कृष्ण ग्राम- टीचर क्वाटर पीछे इमेनुएल विद्यालय के पास वेलबनवा पो0- मोतिहारी थाना- टाउन जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025/006263	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	मो० मकसूद आलम पिता- मो० मिकाईल असारी ग्राम- बहादुरगज पो०+थाना- लहेरियासराय जिला- दरभंगा केस फाईल न०- केई/80258	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
13	सजय कुमार साव पिता- स्व० किशोरी प्रसाद ग्राम+पो०+थाना- अस्थवा जिला- नालदा केस फाईल न०- सीएन/07387	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	अम्बुज कुमार सिंह पिता- बिरेन्द्र सिंह ग्राम- शांति नगर पो०- गुरुकुल मेहिया थाना- मुफ्फसिल जिला- सारण केस फाईल न०- सीएच/23954	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			9,65,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,65,000/- (नौ लाख पैसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-TMC A/C HBCB and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सापरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अर्हता प्राप्त लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 556 (14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
25/2/26

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेपक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital  
(P) Pvt. G-124. P C. Colony, Main Road,  
Near Domino's Pizza. Kankarbagh.  
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	मजू देवी पति— प्रदीप माझी ग्राम— अतौआ पो०— गौनावा थाना— कादिस्गज जिला— नवादा	हृदय रोग एभीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002577.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स०— 50200060079860 खाता धारक का नाम— Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम— , RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि

मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे।  
मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 557(14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे ) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/2/26  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)  
बी/29 पत्रकार नगर  
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है –

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रेमा झा पति- सजय कुमार झा ग्राम- आनंद विहार कॉलोनी ईस्ट गोला रोड नियर सत करेन्स हाई स्कूल दानापुर पो०- दानापुर कैट थाना- रूपसपुर जिला- पटना	हृदय रोग एमभीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	सजय सिंह पिता- कपिलदेव सिंह ग्राम- शीतल पट्टी पूर्वी वार्ड 13 पो०- ढाका थाना- चिरैया जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग एवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	खातूना वेगम पति- असगर अली ग्राम- जोन्ही वार्ड 10 पो०- जोन्ही थाना-बिक्रमगज जिला- रोहतास	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

4	प्रियका कुमारी पति- राजेश कुमार राय ग्राम- सोगर वार्ड 06 पो0- सोगर थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग BMV	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
5	कृष्णा देवी पति- सुरेद्र महतो ग्राम- भगवानपुर कमला टोला अडाहा वार्ड 14 पो0- भगवानपुर कमला थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग एमवीआर	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
			5.80.000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5.80.000/- (पाँच लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0- 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 558(14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक स0 002597 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सवधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

Dr. Prabhat Memorial Hiramati Hospital,  
Plot No. 106/107-B, Road No.  
(Near Dinkar Golamber) Rajendra Nagar,  
Patna 800016

पटना, दिनांक .... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मिथिलेश देवी पति- बिनोद राव ग्राम- मुशहरी पो०- बीजबबिया थाना- सिरिसिया जिला- पश्चिम चम्पारण	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	प्रवीन कुमार पिता- बलिराम पंडित ग्राम- सुर्यपुरा पो०- किशुनपुरा थाना- बसतपुर जिला- सिवान	ब्रेन हेमरेज	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 01.02.2577 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 15570210003107 खाता धारक का नाम- A Unit of Caring Hands Healthcare Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- UCO Bank, शाखा का नाम- Kankarbagh Patna, RTGS/IFSC कोड सं०- UCBA0001557 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं ही सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 560(14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002597... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,  
बी०एस०एल, आई केयर,  
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2  
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक . . . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एव पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	राकेश कुमार पिता— कमलेश पासवान ग्राम— अल्लाउद्दीनचक पो०+थाना— पुनपुन जिला— पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-295711100000885 खाता धारक का नाम—B.S L. EYE CARE खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड स० UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभा~~ग~~को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/--

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 561(14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध हे कि सलग्न चेक सं० 002577 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) आई टी मिंजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/2/26  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रभक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर  
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी  
पटना 801105

पटना, दिनांक .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित कीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमरीक यादव पिता- रामचंद्र यादव ग्राम- गोसागोसाई टोला पो०+थाना- पाटलीपुत्रा जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	दिनेश चौधरी पिता- मुशी चौधरी ग्राम+पो०+थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	लालमुनी देवी पति- गोधन पासवान ग्राम- ज्ञानपुर पो०- विरामपुर थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	विजय प्रसाद पिता- कारू साव ग्राम- बाकीपुर गोरख पो०+थाना- फतुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	चंद्रदेव यादव पिता- रामशरन यादव ग्राम- इगलिशपर पो०- तेलहा थाना- टिकारी जिला- गयाजी	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	गीता देवी पति- अभय सिंह ग्राम- मनगरपाल नूरा सरन पो0- टी0म0पाल थाना- दरियापुर जिला- सारण	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	विनय कुमार झा पिता- नर्मदेश्वर झा ग्राम- दिघी कला वेस्ट पो0- दिघी कला थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	राजीव कुमार पिता- स्व0 रवि भूषण प्रसाद ग्राम- दिघड़ी कला पूर्वी पो0- दिघी कला थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	रत्नेश प्रसाद सिंह पिता- अवध किशोर प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- दिघी कला पूर्वी थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	सुरेश कुमार सुमन पिता- स्व0 लक्ष्मण राय ग्राम- मादापुर पो0- लदौरा पकरि थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	रीता देवी पति- शैलेन्द्र कुमार ग्राम- उल्लाउदीन चक पो0+थाना- पुनपुन जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	मधेश दास पिता- प्रमेश्वर दास ग्राम+पो0- पिजरवा थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	बखोरा चौधरी पिता- सरज चौधरी ग्राम- पिजरवा पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

14	देव वचन साव पिता- गणेशी साव ग्राम+पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
15	शिव प्रसाद साव पिता- भेखा साव ग्राम- धमौल पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
16	महेन्द्र माझी पिता- रमदहिन माझी ग्राम+पो0+थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
17	अकबर असारी पिता- नबिर असारी ग्राम+पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
18	सादिक असारी पिता- मो0 उमैर ग्राम+पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
19	नन्द किशोर ठाकुर पिता- मरछु ठाकुर ग्राम+पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
20	शइदा खातुन पति- महतुई आलम ग्राम+पो0- पिजरवा थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
21	सोहन सिंह यादव पिता- चमरु यादव ग्राम+पो0- भदसी थाना- अरवल जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
22	अनिल सिंह पिता- राम अयोध्या सिंह ग्राम+पो0- इब्राहिमपुर थाना- कुर्था जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

23	अमरेन्द्र कुमार पिता- बद्रीनारायण सिंह ग्राम+पो0- पिजरवा थाना- कुर्था जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			2,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 यो0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200021671321 खाता धारक का नाम- BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- Patliputra Branch, Kurji (Patna), RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0002643 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सम्बन्धित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत परतल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0-- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा-- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अक्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 563(14)

पटना, दिनांक

25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना (तीन प्रतियों में )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

पेपक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
दिव्य दृष्टि आई सेंटर,  
एस०बी०आई कालोनी,  
मंगल मार्केट, शेखपुरा,  
पटना 800014 ।

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाराज,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित योगारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रमेश कुमार सिंह पिता— सच्चिदानंद सिंह ग्राम— दरवेशपुर जिवराखन टोला पो०— व्यापुर थाना— मनेर जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 10,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता स० 32878907331, खाता धारक का नाम— 'दिव्य दृष्टि आई सेंटर प्रा० लि०' खाते का प्रकार— बैंक का नाम— स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम— आई०जी०आई०एम०एस०, पटना, RTGS/IFSC कोड स० SBIN0007945 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
  7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
  8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन


ह०/-  
(डॉ० श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 564 (14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रपक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
सार्प साईट आई० हॉस्पिटल,  
आध्या हाईट आशियाना मोड,  
आशियाना दीघा रोड,  
पटना 800025

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।  
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 18 02 2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	किरण देवी पति- रामदास पासवान ग्राम- बिजौरा पो०- मोकर थाना- भगवानगज जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	मालती देवी पति- अरूण सिंह ग्राम- रवाईच पो०+थाना- बखतियारपुर जिला- पटना	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	सुरेन्द्र प्रसाद पिता- वासु साव ग्राम+पो०- कोनाद थाना- अस्थवा जिला- नालदा	Cataract surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 40,000 /-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,000/- (चालीस हजार) ₹० के भुगतान के लिए आपके सरथान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता स० 50200043954418 खाता धारक का नाम- 'SHARP SIGHT CENTER EAST U/O SSL CP LTD' खाते का प्रकार- बैंक का नाम- HDFC Bank PVT LTD, शाखा का नाम- LAXMI NAGAR DIST CENTER VIKASH MARG, NEW DELHI - 110092, RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000120 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक 565(14)

पटना, दिनांक

25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 008597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

रंजीत झा  
पिता- योगेन्द्र झा  
ग्राम+पो०- भद्रेश्वर  
थाना- बथनाहा  
जिला- अररिया  
पिनकोड- 854316

पटना दिनांक... ..

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रंजीत झा पिता- योगेन्द्र झा ग्राम+पो०- भद्रेश्वर थाना- बथनाहा जिला- अररिया पिनकोड- 854316	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002597. .... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-463710110009391, खाता धारक का नाम- RANJIT JHA, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम- FORBESGANJ, IFSC कोड सं०- BKID0004637 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

निदेशक प्रमुख  
१०/०६/२०१६

विभाग, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यादेश प्रेषित।  
प्रतिनिधि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना।

समान वेक सं० ०१०२५१७७ की कृपया राशि का अंतरण उपरोक्त कटिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर  
प्रतिनिधि- आर्य प्रथमक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंगलोर, पटना को प्रेषित करने हेतु अनुरोध है कि

कामाक्षी (h) 455 पटना, दिनांक १०/०६/२०१६

### हमारी महत्वपूर्ण योजनाएँ

1. स्टार होम लोन
2. स्टार वंधक ऋण
3. स्टार वैयक्तिक ऋण
4. स्टार सानीटे ऋण
5. स्टार आइपीओ ऋण
6. स्टार शिक्षा ऋण
7. पीओआई लघु उद्यमी डेड-कांड
8. पीओआई किसान समाधान कार्ड
9. पीओआई शताब्दी कृषि विकास कार्ड



Reserve Bank does not regulate the activities of the Primary Agricultural Credit Societies (PACS) as they are not covered by the Banking Regulations Act, 1949 (AACS), and the deposit maintained with PACS are not insured by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

कृपया अधिक जानकारी के लिए शाखा प्रबंधक से मिलें।  
अथवा [www.bankofindia.com](http://www.bankofindia.com) पर लॉग ऑन करें।

Acc-463710110009391



बैंक ऑफ इंडिया

Bank of India

IFSC-BKID0004637

शाखा / Branch

खाता सं / SB Account No.

नाम / Name

RANJIT THA

व्यवसाय / Occupation

पता / Address

जारी कर की तारीख / Date of issue

मुख्य प्रबंधक / Chief Manager

यह मेरे खाता का खाता प्रति है। Bank का नाम

Bank of India, खाता सं. : 463710110009391

IFSC CODE : BKID0004637,

Branch : Foxbegun

रंजित ठा

Date : 5 Feb 2020

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में

बरुण कुमार केशरी  
पिता- गोपाल प्रसाद केशरी  
ग्राम- सनीचरी हाट  
पो०+थाना- आजमनगर  
जिला- कटिहार  
पिनकोड- 855113

पटना दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निर्बंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बरुण कुमार केशरी पिता- गोपाल प्रसाद केशरी ग्राम- सनीचरी हाट पो०+थाना- आजमनगर जिला- कटिहार पिनकोड- 855113	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002577 ... .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं- 33862714078, खाता धारक का नाम- BARUN KUMAR KESHRI, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं- SBIN0012653 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 595 (14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स० 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
चिदेशक प्रमुख

## सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

## Tips for Secure Banking



- ◆ अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिह्न (Special Characters) का उपयोग कर उसे मज़बूत और जटिल रखें।
- ◆ अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, सीवीवी, पिन, आदि किसी के साथ साझा ना करें।
- ◆ अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक ना करें।
- ◆ अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें।
- ◆ एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा SBI या SB संक्षिप्त कोड के साथ ही आंयेंगे। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI


सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:  
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

- ◆ Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters.
- ◆ Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone.
- ◆ Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- ◆ Do not install any application on the advice of strangers.
- ◆ SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" etc. e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:  
1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.

To report an suspicious activity or to report phishing@sbi.co in or call on the cybercrime helpline number 1930  
For more information visit <https://www.cybercrime.gov.in> or <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>

# SBI



BRANCH MANAGER

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

विवेक कुमार

पिता- युगेश्वर प्रसाद

ग्राम- रोड न०- 14बी नियर डी० सी० झा अशोक नगर

पो०- लोहिया नगर थाना- ककडबाग

जिला- पटना

पिनकोड- 800020

पटना दिनांक . . . . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विवेक कुमार पिता- युगेश्वर प्रसाद ग्राम- रोड नं०- 14बी नियर डी० सी० झा अशोक नगर पो०- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना पिनकोड- 800020	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002597..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-10230972004, खाता धारक का नाम- VIVEK KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- IDFC FIRST BANK, शाखा का नाम- PATNA EXHIBITION ROAD BRANCH, IFSC कोड सं०- IDFB0060283 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 596 (14)


पटना, दिनाक 25/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख 25/2/26

PASSBOOK



UCIC	: 5872427502	Branch Address	: PATNA - EXHIBITION ROAD BRANCH
Account No	: 10230972004		: 6A FLR, SAHI BLDG, MOHALLA EXHIBITION RD,
Customer Name	: Vivek Kumar		: GANDHI MAIDAN PATNA
Address	: house no 144 road no 14B gate no 3		: 800001
	: west ashok nagar kankarbagh near madhulal hospital patna	IFSC Code	: IDFB0060283
	: PATNA-800012	MICR Code	: 800751005
Mobile No	: 917654686690	Phone	:
Email	: yadavvivek9575@gmail.com	Email	:
D.O.B	: 24-12-1997	Branch	: 60283
MOP	: SINGLY	ACD	: 25-05-2025
Nomination	: REGISTERED	CUSTOMER_CKYC_ID:	
Nominee	: Pratima Devi		

*Vivek Kumar*  
*09/02/2025*

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
अखिलेश कुमार महतो  
पिता- रामसुंदर महतो  
ग्राम- अरेर बरही टोल  
पो०- अरेर हाट  
थाना- अरेर  
जिला- मधुबनी  
पिनकोड- 847222

पटना दिनांक . . . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अखिलेश कुमार महतो पिता- रामसुंदर महतो ग्राम- अरेर बरही टोल पो०- अरेर हाट थाना- अरेर जिला- मधुबनी पिनकोड- 847222	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002597 .... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-32704772459, खाता धारक का नाम- AKHILESH KUMAR MAHTO, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- ANRER, IFSC कोड स०- SBIN0006163 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख


ज्ञापाक

597 (14)

पटना, दिनांक 25/2/2026


**प्रतिलिपि**— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 002597..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि**— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
24/2/26  
निदेशक प्रमुख

Generally used abbreviations

= Accour	= Deposit	Pr = Principal
adj = Adjust	= Draft	proc = Processing Change
Amt = Amour	/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	= Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	= Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capite	Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
chg/ch = Char	= Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	Insurance	Sl/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	= Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commision	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sa e	- MOD ba = total balance (SB+linked MOD a/c)



आरतीय स्टेट बैंक

BRANCH: ANR01  
M. O. AREPHAT

State Bank of India

Email: sbi.061639sbi.co.in  
Phone No.: 281881  
TBS : SBINDO0004

Bank Branch: 000000  
M. O. AREPHAT

Name: AKHIL K. S. MAHARAJ

S/O: RAMSUNDE R. MAHARAJ

CIF Number: 25541341989

Account No.: 33702702157

A/C Type: Savings Bank account

Address: S/O- RAMSUNDE R. MAHARAJ  
M. O. AREPHAT, DIST- MALHARANI  
BLOCK- DEHATI, DIST- MALHARANI

Phone No.:

Email:

D.O.B. (If Minor):

PPO Number:

WORKSHEET  
M. O. AREPHAT  
M. O. AREPHAT  
M. O. AREPHAT  
M. O. AREPHAT  
M. O. AREPHAT  
M. O. AREPHAT

शाखा प्रबंधक  
Branch Manager

अश्विनी कुमारी

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
रामनाथ झा  
पिता- शभूनाथ झा  
ग्राम+पो०- गुरुआ वार्ड 15  
थाना- तेघडा  
जिला- बेगूसराय  
पिनकोड- 851133

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामनाथ झा पिता- शभूनाथ झा ग्राम+पो०- गुरुआ वार्ड 15 थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय पिनकोड- 851133	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002597... .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-39124171988, खाता धारक का नाम- RAMNATH JHA, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- TEGHRA, IFSC कोड स०- SBIN0003012 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन


ह०/-  
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 598(14)

पटना, दिनांक 25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 001597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख



## सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव

- ◆ अपने पासवर्ड में छोटे और बड़े अक्षरों, अंकों, एवं विशेष चिन्ह (Special Characters) का उपयोग कर उसे मजबूत और जटिल रखें।
- ◆ अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी, कार्ड क्रमांक, सीवीवी, पिन, आदि किसी के साथ साझा ना करें।
- ◆ अनजान प्रेषकों द्वारा आने वाले एसएमएस / ईमेल अथवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स से प्राप्त होने वाली लिंक्स पर क्लिक ना करें।
- ◆ अनजान व्यक्तियों की सलाह पर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें।
- ◆ एसबीआई के द्वारा भेजे जाने वाले एसएमएस हमेशा 'SBI' या 'SB' संक्षिप्त कोड के साथ ही आएंगे। उदाहरण: SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:  
**1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.**

## Tips for Secure Banking

- ◆ Keep your password strong and complex with a combination of small and capital letters, digits and special characters
- ◆ Do not share your personal details like Username, Password, OTP, Card Number, CVV, PIN etc. with anyone
- ◆ Do not click on links received in SMS/Emails from unknown senders or on social networking sites.
- ◆ Do not install any application on the advice of strangers.
- ◆ SMS sent by SBI will always bear Short Codes "SBI, SB" etc. e.g., SBIBNK, SBIINB, SBYONO, ATMSBI.

Call our helpline number for assistance:  
**1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111111**

For more information, please visit our website <https://www.sbi.co.in> or call on the cybercrime helpline number 1930.  
 For more information, please visit our website <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें:  
**1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109.**

For more information, please visit our website <https://www.sbi.co.in> or call on the cybercrime helpline number 1930.  
 For more information, please visit our website <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>

BRANCH MANAGER

सहायता हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

उपेन्द्र प्रसाद  
पत्नी- नीरू देवी  
ग्राम+पो०+थाना- तेल्हारा  
जिला- नालदा  
पिनकोड- 801306

पटना दिनाक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उपेन्द्र प्रसाद पत्नी- नीरू देवी ग्राम+पो०+थाना- तेल्हारा जिला- नालदा पिनकोड- 801306	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30 01 2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002597 ... .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-68780100017609, खाता धारक का नाम- MRS NIRU DEVI WO UPENDRA PRASAD, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- DAKSHIN BIHAR GRAMIN BANK, शाखा का नाम- MAGADH MEDICAL COLLEGE ROAD, IFSC कोड स०- PUNB0MBGB06 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 599(14)

पटना, दिनाक 25/2/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स० 002597 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख



# दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक Dakshin Bihar Gramin Bank

MAGADH MEDICAL COLLEGE ROAD  
MAGADH MEDICAL COLLEGE, RD, PO-CHANDAPATI, GAYA - 823001 (Bihar)

IFSC कोड: PUNB0MBG06  
ACCOUNTS PARTICULARS

Mode of Operation: SBI  
Customer No.: 991255  
Account No.: 67801000000000000000  
MRS. NIRMAL DEVI W/O. HEMCHANDR PRASAD  
S/O. NIRMAL DEVI W/O. HEMCHANDR PRASAD  
100, MAGADH COLONY  
PT. NO. 12, MAGADH COLONY  
GAYA BIHAR  
BIHAR INDIA  
Pin: 823001  
Nominal on Registered at Sl No: 351011719  
Date of Issue: 11-05-2023


Computer generated entries appear in the statement  
of account as per records of the bank. If any discrepancy  
is found, please do not take any action  
as the account is computer generated. If you wish to  
verify the statement, you can also use ATMs.

अपना पास बुक तिन्ही मासमा एक पटक सम्पन्न गर्न कृपया ध्यान दिनुहोस्।  
Please get your Pass Book completed once a month

तारीख / DATE पत्राङ्क / MANAGER

कन्सन्ट्रलाइज्ड बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रणालीको अन्तर्गत बैंक ग्राहकको चेकको बराबरको  
मात्रमा अथवा पूर्वमा केहीको लागि पनि बैंकको शर्तको अन्तर्गत केहीको लागि पनि बैंकमा  
आवृत्त परीक्षणको लागि ध्यान दिनुहोस्।  
Under Centralised Banking Solution System, Bank shall only honour  
or pay the cheques of the customers against clear balance up to the  
previous day and having regard to the draws of the day already  
made in the account

Account no - 68780100000000000000  
IFSC - PUNB0MBG06



नाम/Name \_\_\_\_\_ नाम/Name \_\_\_\_\_ नाम/Name \_\_\_\_\_  
खाताधारक/Account Holder-1 खाताधारक/Account Holder-2 खाताधारक/Account Holder-3

## पास-बुक में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK

समाशोधन	स.शो	वापसी	वापसी
Clearing	Clg	Returning	Rtg
अन्तरण	अ	प्रासंगिक प्रभार	प्रा प्र
Transfer	Tr	Incidental Charges	I/C
चेक	चैक	आगे ले जाया गया	आ/ले
Cheque	Ch	Carried Over	C/O
कमीशन	कमी.	पीछे ले जाया गया	पी./ला.
Commission	Com	Brought Forward	B/F
ब्याज	ब्याज	स्थानीय चेक/माग ड्राफ्ट	एल.डी.डी.
Interest	Intt	Local Cheque/Demand Draft	L D D
बट्टा	बट्टा	ड्राफ्ट	ड्रा.
Discount	Disc	Draft	Dft
बाहरी चेक/खरीदे गये बिल	डी. डी.	नकद	नकद
Outstation Cheques/Bills Purchased	D.D	Cash	Cash
लाभाश पत्र	ला.पत्र	बाहरी बिल/चेक	ओ.बी.सी.
Dividend Warrant	D/W	Outstation Bill/Cheque	O.B.C

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

विवेक कुमार  
पिता- विजय सिंह  
ग्राम+पो०- देओ  
थाना- सिकरहट्टा  
जिला- भोजपुर  
पिनकोड- 802209

पटना दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विवेक कुमार पिता- विजय सिंह ग्राम+पो०- देओ थाना- सिकरहट्टा जिला- भोजपुर पिनकोड- 802209	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002577 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-38490100008084, खाता धारक का नाम- VIVEK KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF BARODA, शाखा का नाम- LANKA KACHUARA, PATNA, IFSC कोड सं०- BARB0LANKAC में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 600(14)

पटना, दिनाक 25/2/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
25/2/26



8321 1421  
5443



बैंक ऑफ बड़ौदा  
Bank of Baroda  
India's International Bank

6795220519109926

**याद रखें / Remember:**

- आपके खाते में नवीनतम केवाईसी, नामांकन, मोबाइल नंबर एव ई-मेल आईडी अद्यतन होने चाहिए  
Your account should be updated with your latest KYC, Nomination, Mobile number & Email ID
- अपनी पासबुक को सावधानी पूर्वक रखें अपनी पासबुक पर हस्ताक्षर न करें पासबुक को नियमित रूप से अद्यतन करें किसी भी प्रकार की विसंगति होने की सूचना तत्काल दी जानी चाहिए  
Preserve your passbook carefully Do not put your signature on passbook Get passbook updated regularly Any discrepancy should be notified immediately
- कृपया अपनी व्यक्तिगत जानकारी, प्रयोक्ता आईडी, पिन, पासवर्ड, सीवीवी संख्या किसी को न बताएं कॉल या ई-मेल के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी मांगे जाने पर शाखा को सूचित किया जाना चाहिए  
Please do not give your personal information, user IDs, Pins, Password, CVV number to anyone Any calls or emails requesting for such information should be notified to the branch
- खाते के लिए पहली पासबुक नि:शुल्क होगी शुल्क का भुगतान किए जाने पर डुप्लिकेट पासबुक उपलब्ध करवायी जाएगी  
First passbook in account is free Duplicate passbook may be provided on payment of fee.
- प्रत्येक अर्द्ध वर्ष में 50 डेबिट (स्थायी अनुदेशों, बैंकलपिक डिलिवरी चैनलों, सेवा प्रभारों से संबंधित प्रविष्टियों को छोड़कर) की अनुमति होगी 50 प्रविष्टियों से अधिक लेन देन होने पर प्रभार लगाया जाएगा  
50 debits (excluding Standing instruction, Alternate Delivery Channels, related to service charges) per half year is permitted. Transaction exceeding above 50 will be charged
- ब्याज की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी और तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर खाते में जमा किया जाएगा  
Interest is calculated on daily basis and credited to accounts within 15 days of end of quarter

Branch Name : LANKA KACHUARA.PATNA. BIHAR Phone : 0612-2390900  
Branch Email ID : lankac@bankofbaroda.com  
IFSC : BARBOLANKAC [Fifth character is zero]  
MICR Code : 800012503  
Customer ID : JDX075061  
Account Number : 38490100008084  
Account Name : VIJAY KUMAR  
Address : CO MADANKUMAR SINGH BHOJPUR NIWAS ADARASH NAG  
: MAGAL CHAK KHEMANI CHAK SAMPATCHAK  
: DIGHA  
A/c Opening Date : 26-06-2019  
Nominee Name : Yes

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
गौतम कुमार  
पिता- बासुदेव विश्वकर्मा  
ग्राम- बाघोखाप  
पो०+थाना- चेरकी  
जिला- गयाजी  
पिनकोड- 824237

पटना दिनाक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनाक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गौतम कुमार पिता- बासुदेव विश्वकर्मा ग्राम- बाघोखाप पो०+थाना- चेरकी जिला- गयाजी पिनकोड- 824237	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002597... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-3109511116, खाता धारक का नाम- GAUTAM KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CENTRAL BANK OF INDIA, शाखा का नाम- BODHGAYA (BIHAR), IFSC कोड सं०- CBIN0280045 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन


ह०/-  
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 601(14)

पटना, दिनाक 28/2/2026

**प्रतिलिपि**— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलमन चेक सं० 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि**— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख



Continuation

BODHGAYA (BIHAR)  
Account No: 3109511116

Branch Address And Tel No.  
M. ...

...

...

...


...

...

...

...

तारीख / Date



Name And Address Of Account Holder/s:  
Mr. GAUTAM KUMAR

S/O BASU DEO VISHWAKARMA  
VILL BAGHE KHAP CHERKI  
SAHADEV KHAP GAYA

824237 Nomination: Y  
OPERATING SINGLY

Toll Free No.: 18002001911



अधिकारी  
OFFICER

प्रबंधक  
MANAGER

समक्ष

लेख्य प्रमानक नोटरी

गयाजी, बिहार



शपथ - पत्र

मैं गौतम कुमार उम्र - 35 वर्ष पिता - बासुदेव विश्वकर्मा ग्राम - बाघेछाप, पो० - चेरकी, थाना - चेरकी, जिला - गया, पिन कोड - 824237, राज्य - बिहार शपथ पत्र के माध्यम से सत्य एवं निष्ठापूर्वक निम्नांकित बातों को उदघोषणा करता हूँ।

1. यह कि मैं उपरोक्त पता का स्थाई निवासी हूँ।
2. यह कि मैं दिनांक - 18/06/2025 को पी० जी० आई० चण्डीगढ अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करवाया हूँ। जिसका पंजीयन सं० - सी० आर० नं० 202501264655 किडनी ट्रांसप्लांट नं० 5198 है उस वक्त बिहार सरकार द्वारा अनुदान राशि भी मिला था।
3. यह कि बिहार सरकार द्वारा घोषित मेडिसिन सहायता राशि का प्रथम किस्त 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) प्राप्त हो चुका है।
4. यह कि बिहार सरकार द्वारा घोषित मेडिसिन सहायता राशि का द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने हेतु यह शपथ - पत्र दाखिल कर रहा हूँ।
5. यह कि मैं गौतम कुमार खाता सं० - 3109511116 आई एफ एस सी कोड - CBIN0280045 है, स्वयं गौतम कुमार के नाम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा बोधगया, जिला - गयाजी, राज्य - बिहार में खाता दर्ज है।
6. यह कि स्वीकृत प्राप्त राशि का उपयोग मैं केवल दावा खरीदने में करूंगा।
7. यह कि शपथ पत्र की ऊपर लिखी सारी बातें पढ एवं समझ कर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

सत्यापन

मैं गौतम कुमार पुनः यह घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र के कंडिका 01 से लेकर 07 तक में वर्णित बातें मेरी निजी जानकारी में सत्य एवं सही हैं।

अधिवक्ता

शपथकर्ता

*(Handwritten signature and date)*  
30/6/25

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

विक्रान्त कुमार  
पिता- अखिलेश राय  
ग्राम- निलोरुकुन्दपुर  
पो०- डभैच  
थाना- तिसिऔता  
जिला- वैशाली  
पिनकोड- 843110

पटना दिनांक .....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विक्रान्त कुमार पिता- अखिलेश राय ग्राम- निलोरुकुन्दपुर पो०- डभैच थाना- तिसिऔता जिला- वैशाली पिनकोड- 843110	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002577 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-40947122356, खाता धारक का नाम- VIKRANT KUMAR, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- PO DABAICH, IFSC कोड सं०- SBIN0008136 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक (602/14)


पटना, दिनांक 25/2/2026

**प्रतिलिपि**— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स. 002597 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

**प्रतिलिपि**— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

Account	Unit Code	Post Point Code
Ad = Advance	Dep = Deposit	Pr = Principal/मूल
Am = Amount	Dr = Debit	Proc = Processing Charge/प्रस. शु. / प्र.
Ar = Arrear/अग्र	Dish = Dishonor/अभिस. / अभि.	RD = Recurring Deposit/संच. ब. / संच.
bal = Balance/बल	DF = Debit	ret/rtn = Return/वापस
Cap = Capitalisation/संच. / संच.	DCB = Demand Draft/संच. / संच.	Rnd = Round off/गोल
Chg/ch = Charge/शु. / शु.	of = of	sb = Savings Bank/संच. / संच.
Chq = Cheque/चक	pos = post	SC = Share Certificate/संच. / संच.
CIF = Customer Information File/ग्रा. सू. / ग्रा. सू.	ps = post	SI/SOI/SOPD = Standing Instruction/संच. / संच.
Clos = Closure/समाप्त	rt/ln = Receipt/संच. / संच.	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/पु. / पु. / पत्नी / पति
Coll = Collection/संग्रह	lon/loan/लोन	tr/trf/xfer = Transfer/संच. / संच.
Comm. = Commission/समीकरण	ms = Maximum/संच. / संच.	txn = Transaction/संच. / संच.
COR/CORR = Correction/संशोधन	of = of	Wdi = Withdrawal/संच. / संच.
CR = Credit/क्रेडिट	P&T = Postal Charges/संच. / संच.	+MOD bal = Total balance (SB+Linked MOD a/c)/कुल बल (संच. + संच. / संच.)



Branch: PO-DABAICH Code: 8136  
PS-TISIAUTA

Email: sbi.08136@sbi.co.in  
Phone No.: 234175  
IFSC: SBIN0008136

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:  
MICR: 244002507

Name: Mr. Vikrant Kumar  
S/D/H/o : AKHILESH RAY  
CIF Number : 90950309517  
Account No.: 40947122356  
A/c Type : REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT  
Address : S/O: Akhilesh Ray  
Milo Rukunpur  
Phone No. :  
Email :  
D.O.B. (If Minor):  
DDO Number :

MOP: SINGLE  
A/c Opening Dt: 15/04/2022  
Nom Reg No: 0000000367839  
Customer's PAN:  
Date of Issue: 29/04/2022  
FIRST  
Post Code: 243117  
Sr. Citiz Flag:

BRANCH MANAGER

स० स० 14/एम 11- 01/2026  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अभय पांडेय

पिता- रामा शकर पांडेय

ग्राम- बडी नगला पटना सिटी

पो०- माधव मिल्स थाना- मालसलामी

जिला- पटना

पिनकोड- 800008

पटना दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.02.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अभय पांडेय पिता- रामा शकर पांडेय ग्राम- बडी नगला पटना सिटी पो०- माधव मिल्स थाना- मालसलामी जिला- पटना पिनकोड- 800008	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार ) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स० 002597 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-60472973203, खाता धारक का नाम- ABHAY PANDAY, खाते का प्रकार- PMJDY, बैंक का नाम- BANK OF MAHARASHTRA, शाखा का नाम- PATNA SAHIB, IFSC कोड स०- MAHB0002224 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-


(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 603(14)

पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. ~~0.02.5.2.7~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेश कुमार प्रसाद



बँक ऑफ महाराष्ट्र  
Bank of Maharashtra

एक परिवार एक बैंक

पञ्जाब नगरपालिका, पोस्टमार्क - 153111, सि. ए. नं. 111/2023  
प. नं. 100/2023, 1501, शिवपुराज, पाना - 665

Account Details					
Account No	60472973203	Account Open Date	22/12/2023	Nomination Flag	Y
Account Type	PMJDY without Cheque Book	Nominee Name	Kumkum Kumar		
Mode of Operation	OPERATING SINGLY	Total Balance	249.13	Available Balance	249.13
QAB Required		2500.000	QAB Maintained		3610.727
Account Holder Names	Mr ABHAY PANDAY			Primary GSTIN	NA

Customer Details					
Name	Mr ABHAY PANDAY			CIF Number	40274997933
Mobile	xxxxxxxx41	Email	axxxxxxx@gmail.com		
KYC Complied	Y	KYC Expiry Date	29/10/2032	CKYC ID	xxxxxxxx9217
Primary ID Type	ADHAR WITH SAME ADDRESS	Date of Birth	10xxxxxx91	Statement Date	Fri Jun 30 17 15 29 GMT-05 30 2026
Address	SON OF RAMA SHANAKAR PANDAY, BARI NAGLA POST MADHAV MILLS NAGLA PATNA CITY, PATNA BIHAR, 800008				

Home Branch Details					
Branch No	02224	Branch Name	PATNA SAHIB	IFSC	MAHB0002224
Phone No		Email Id	bom2224@mahabank.co.in	GSTIN	
Address	OPP PATNA SAHIB GURUDWARA CHOWK PATNA CITY PATNA BIHAR null, null 800008				

A. Statement for Account No 60472973203 from 30/07/2025 to 30/01/2026

Sr No	Date	Particulars	Cheque /Reference No	Debit	Credit	Balance	Channel
1	01/08/2025	UPI 182250070747/INDB/AJAY PANDAY/Payment from Pho	182250070747	-	1,000.00	3,404.22	UPI
2	01/08/2025	UPI 521369618198/UTIB/DR LAL PATHLABS/UPI	521369618198	600.00	-	2,804.22	UPI
3	02/08/2025	UPI 109079720833/HDFC /ABHIJEET KUMAR SAHA/UPI	109079720833	-	1,220.00	4,024.22	UPI
4	02/08/2025	UPI 426590353370/INDB/AJAY PANDAY/Payment from Pho	426590353370	-	2,000.00	6,024.22	UPI
5	03/08/2025	UPI 495396042221/INDB/AJAY PANDAY/Payment from Pho	495396042221	-	1,000.00	7,024.22	UPI
6	03/08/2025	UPI 101123311800/HDFC/SBPDCL SMART PRE PAID METER/	101123311800	1,500.00	-	5,094.22	UPI
7	05/08/2025	UPI 558394418007/IPOS/SURAJ KUMAR/UPI	558394418007	80.00	-	5,014.22	UPI
8	05/08/2025	UPI 337547701978/YCSB/PhonePe /Payment from PhonePe	337547701978	1,540.00	-	3,074.22	UPI
9	06/08/2025	UPI 521851043931/ICIC/Google India Digital Service	521851043931	2,287.45	-	686.77	UPI
10	10/08/2025	UPI 977875383975/INDB/AJAY PANDAY/Payment from Pho	977875383975	-	300.00	986.77	UPI
11	10/08/2025	UPI 558801645855/PUNB /SANTOSHI KUMAR SO KRISHINA PAN	558801645855	150.00	-	836.77	UPI
12	10/08/2025	UPI 558833646706/YLSB/ANAJAN /UPI	558833646706	160.00	-	676.77	UPI
13	12/08/2025	IMPS/48/522410560645/**7210 /LEELAWATI DEVI WO RAMA	522410560645	-	4,000.00	4,676.77	IMPS
14	12/08/2025	UPI 657751674972/SBIN/Riya Panday/Payment from Pho	657751674972	3,600.00	-	1,076.77	UPI
15	13/08/2025	UPI 522553619034/JSPB/RAKESH KUMAR/UPI	522553619034	50.00	-	1,026.77	UPI
16	14/08/2025	IMPS/48/522611747916/**7210 /LEELAWATI DEVI WO RAMA	522611747916	-	7,000.00	8,026.77	IMPS
17	14/08/2025	UPI 522607158398/YESB /CHANDAN RAY/UPI	522607158398	30.00	-	8,596.77	UPI
18	14/08/2025	UPI 522675965448/YESB/Uma Petrol Centre/UPI	522675965448	100.00	-	8,496.77	UPI
19	14/08/2025	UPI 522635667977/KKBK/Jeena Sikho Lilecar. Limited	522635667977	4,702.00	-	3,794.77	UPI
20	14/08/2025	UPI 522663457102/YESB/MANJAY KUMAR SINGH/UPI	522663457102	20.00	-	3,774.77	UPI
21	14/08/2025	UPI 522697185750/YESB/Pankaj Sah /UPI	522697185750	20.00	-	3,754.77	UPI
22	15/08/2025	UPI 559381237353/YESB/HARSH RAJ/UPI	559381237353	55.00	-	3,699.77	UPI
23	16/08/2025	UPI 522805025743/SBIN/Indian Railways UTS/UPI	522805025743	75.00	-	3,584.77	UPI

Total Transaction Count	271	Opening Balance	2,404.22
Total Debit Count	200	Total Debit Amount	2,07,337.11
Total Credit Count	71	Total Credit Amount	2,05,182.02
		Closing Balance	249.13

\* END OF STATEMENT

- All the amounts in the Statement are in INR
- This is a System Generated Statement. No Signature is Required
- Please Customers advised to keep their KYC updated periodically with Official Valid Documents (OVDs) as per regulatory requirements. Please update your Aadhar if it is more than 10 years old
- Please update your PAN number in your Account, if not done so far



बँक ऑफ महाराष्ट्र  
एक परिवार एक बँक

All India Off. Exec. Number	1800 221422 / 1800 162 2030	Website: www.bankofmaharashtra.com
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------

- <https://www.bankofmaharashtra.com>
- <https://www.bankofmaharashtra.com/whatsapp>
- <https://www.facebook.com/mahabank>
- <https://www.youtube.com/channel/UCcxiMPXN3n1iHZqbB14vd>
- <https://www.linkedin.com/company/mahabank>
- <https://www.instagram.com/mahabank/>
- <https://in.pinterest.com/mahabank/>